श्री कृष्ण त्यागी : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा बुराडी के अन्तर्गत एक हास्पिटल पिछले 10-12 साल से बनने के लिए कई बाद उद्घाटन होने के बावजूद आज तक नहीं बना। इस बात को मैंने कई बार विधान सभा में भी उठाया है परन्तु परिणाम ढाक के तीन पात रहे हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने भी अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में इस हास्पिटल का उद्घाटन किया था तथा हाउस में भी इस बात का आश्वासन दिया था कि जल्द ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में संज्ञान लेते हुए इस हास्पिटल को बनवायेंगी। मेरी क्षेत्र की जनता हास्पिटल के अभाव में दूर-दराज के क्षेत्रों में ईलाज के लिए भटकती है। कृपया इस विषय पर तुरन्त गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तुरन्त हास्पिटल बनवाने की कृपा करें।

श्री सुभाष सचदेवा : आरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मोतीनगर के अंतर्गत कीर्तिनगर में पिछले 4 वर्षों से तैयार यू.जी.आर. की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजून आज तक इस यू.जी.आर. को चालू नहीं किया गया। इस सर्दी के महीने में भी मेरी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यधिक कमी बनी हुई है। 1994 की तुलना में मोती नगर विधान सभा क्षेत्र की आबादी आज डेढ़ गुणा हो गयी है, परन्तु आज भी उतना ही पानी दिया जाता है, जितना कि 1994 में दिया जाता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदया से अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में जनता के समपर्ण के लिए पूरी तरह से तैयार यू.जी.आर को अविलम्ब चालू किया जाए और मोती नगर विधान सभा क्षेत्र को दिये जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ायी जाए।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान दिल्ली के गांव बरवाला के किसानों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिसमें कि किसान अपनी अधिगृहित भूमि की एवज में वर्तमान बाजार दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष

महोदय आन्दोलित किसान अपनी अधिगृहित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य पर देने, हरियाणा सरकार की तर्ज पर किसानों को भूमि की रॉयलटी देने एवं साथ-साथ भूमि अधिग्रहरण नियम 1894 व भूमि सुधार नियम की धारा 33 व धारा 81 को समाप्त करने व दिल्ली के किसानों को खुले बाजार के भाव से भूमि मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पूना शहर में Built-on स्वयं समूह को संज्ञान देते हुए वहां के किसान स्वयं मिल करके तय करते हैं कि किस बिल्डर के साथ विकास करना है उसी प्रकार से दिल्ली के किसान को भी हक दिया जाना चाहिए या फिर भूमि के 15 प्रतिशत विकसित भू-खण्ड का पैसा दिया जाना चाहिए व जिन परिवारों का पेशा कृषि है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहि जिसका पहले प्रावधान था पर अब उसको खत्म कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय जिन किसनों कभी भूमि पिछले 15-20 वर्ष पूर्व अधिगृहित की जा चुकी हैं उसके बदले में उनको आज तक वैकल्पिक प्लाट आंवटित नहीं किए गए हैं। उनको वैकल्पिक प्लाट बिना विलम्ब के आवंटित किए जाएं। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस किसान की भूमि को 15-20 वर्ष पूर्व अधिगृहित किया गया था उसकी राशि से अधिक किसान को प्लाट की कीमत चुकानी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि जो किसान आन्दोलित हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए एक सर्वदलिय कमेटी का गठन किया जाए जोकि किसानों की समस्या का अध्ययन करके अपनी रिर्पोट एक निश्चित समय के अन्दर सदन में पेश करे जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान कर उनको राहत प्रदान की जा सके।

श्री एस.पी. रातावल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली मे बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए उच्चतम

न्यायालय ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ाने की जो अनुमति प्रदान की है। जिस समय दिल्ली में तिपहिया स्कूटरों की संख्या 55 हजार निर्धारित की गयी थी, उस समय की तुलना में अब दिल्ली की जनसंख्या में कई गुणा बढ़ोतरी हो गयी है, अत: दिल्ली में तिपहिया स्कूटरों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और स्कूटर का परमिट केवल उन चालकों को दिया जाए जो स्वयं स्कूटर चलाते हैं और जिनके पास स्कूटर चलाने का लाइसंस है। सरकार स्कूटर माफिया से चालकों को मुक्त कराए और उन्हें ऑटो खरीदने के लिए आसान शर्तों पर स्वयं ऋण दे या बैंकों से दिलवाएं। आज दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा ब्लैक मार्किट में 5 लाख रुपये में मिलता है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत मात्र 1.5 लाख रुपये है। कई ऐसे फाइनांसर हैं, जिनके नाम से एक से अधिक ऑटो रिक्शा हैं और वे इस रोजगार पर कब्जा जमाये बैठे हैं और फाइनांसरों पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का वरदहस्त है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि उन सभी फाइनेन्सरों जिन्होंने कई-कई परमिट ले रखे हैं और ऑटो रिक्शा चालकों को किराए पर देते हैं, उनके परमिट कैंसल करके स्वयं चाले वाले ऑटो चालकों को दिए जाएं।

डॉ एस.सी.एल. गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संगम विहार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 80 फीसदी से 85 फीसदी क्षेत्र अनधिकृत क्षेत्र हैं, जिनमें 24 अनधिकृत कॉलोनियां आती हैं। इन सभी 24 अनधिकृत कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है, परन्तु प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिये जाने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा इन 24 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं कराया गया। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इन कॉलोनियों में कम से कम सड़क और नाली की व्यवस्था अविलम्ब करा दें, जिससे वहां के निवासियों को नारकीय जीवन से छुटकारा मिल सके।

श्री जय भगवान अग्रवाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लोड बढ़ाने के नाम पर दिल्ली के बिजली उपभोक्ता से किये जा रहे करोड़ों रुपये की वसूली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां बिजली के निजीकरण से लेकर अब तक बिजली की चोरी 53 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गयी है, वहीं बिली वितरण कंपनियाँ जिस दर पर बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदती है, उसमें भी 50 प्रतिशत की कमी आई हैं। बिजली वितरण कंपनियाँ लगातार मुनाफे में है, फिर भी सरकार पर दबाव बनाकर जहां बिली की दरों मं बढ़ोतरी करवा ली है, वहीं डिस्कॉम में इक्यूटी बढ़ाने के नाम पर सरकार से 500 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त करने में कामयाब हो गयी है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री पसे यह मांग करती है कि बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच सी.ए. जी. से करवायी जाए और मुख्यमंत्री जी ने इसका आश्वसान भी दिया था, परन्तु आज तक वह सी.ए.जी को निर्देश जारी नहीं कर पायी है। अध्यक्ष जी यह जांच न केवल एक बार हो, बल्कि यह जांच नियमित रूप से हो।

श्री सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन व मुख्यमंत्री जी का ध्यान गोकलपुर क्षेत्र में बिजली की हाई टेंसन लाइन की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन साल से हाई टेंसन लाइन को हटाने का प्रयास कर रहा हूं। बार-बार फाइल पर आब्जेक्शन लगा दिया जाता हैं। इस हाई टेंशन लाइन के कारण क्षेत्र में करीब 72 नागरिकों दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं तथा कई नागरिक विकलांग हो चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अमर कालोनी, ईस्ट गोकल पुर, मीत नगर, सुबोली, मण्डोली के उपर से ये हाई टेंसन लाइन गई हुई है। यह लाइन कुछ अनाधिकृत कालोनियों, कुछ रेगुलर कालोनियों तथा कुछ गांवों के उपर से गई हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी बिजली कम्पनियों को 500 करोड

रूपये दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक फण्ड अथवा जन-अनौथराइज फण्ड से इस हाई टेंसन लाइन को हटवाने की कृपा करें। मानव जनहित कार्य करती हैं। तो उन गरीबों की दुआएं भी आपको हजारों साल जीनें की दुआयें मांगेगी।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरी विधान सभा छतरपुर में बंदरों के आतंक की ओर दिलाना चाहता हूँ। भाटी माइंस में सारी दिल्ली के बंदरों को पकड़कर छोड़ा जा रहा है जो वहां ठहरते नहीं है और आस-पास के रिहायसी क्षेत्र में फैल जाते हैं जिसके बाद घरों, फार्म हाउसों व अन्य सम्पत्तियों में घुसकर दुर्घटनाएं करते रहते हैं इनके आतंक से क्षेत्र के निवासी बहुत अधिक परेशान हैं। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि बंदरों को पकड़ते समय इनकी नशबंदी की जाये ताकि इनकी आगे बढ़ोत्तरी न हो सके। इसके अलावा जहां इनको छोड़ा जा रहा है वहां इनको रोकने की पूरी व्यवस्था की जाये व इनको छोड़ने का अन्यत्र कोई स्थान ढूंढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अल्पसंख्यक मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को जब छात्रवृत्ति दी जाती है तो सबसे पहले उससे दिल्ली में कम से कम पांच साल का निवासी होने की शर्त लगाई जाती है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए दिल्ली में पांच साल निवास करने की शर्त को हटाया जाए।

अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए जिससे मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा सके।

अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम लागू करें जिसमें कहा गया है कि छठी कक्षा के बाद प्रत्येक कक्षा में 6 बच्चे उर्दू व पंजाबी के हों। वहाँ पर उर्दू व पंजाबी के शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली में 753 सरकारी विद्यालय हैं जिनमें उर्दू के पर्याप्त छात्र हैं लेकिन उर्दू के शिक्षक नहीं हैं।

अत: अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप उपरोक्त सभी मांगों को मानते हुए इन्हें लागू करने की कृपा करें।

श्री साहब सिंह चौहान : पहले भी कई बार दिल्ली विधान सभा में आर.एम.पी. चिकित्सकों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है परन्तु इन चिकित्सकों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। ये आर.एम.पी. चिकित्सक दिल्ली की गरीब बस्तियों में अपनी प्राथमिक सेवायें देते हैं जिससे गरीब आदमी को अपने घर के नजदीक ही प्राथमिक चिकित्सा सेवा (फर्स्ट एड) मिल जाती है। सरकार को इन्हें नियमित करने के लिए कोई ट्रेनिंग विशेष दिलाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा सकती है। अलग से एक आर.एम.पी. बोर्ड का गठन करके इन्हें नियमबद्ध किया जा सकता है। दिल्ली, क्योंकि केन्द्रशासित प्रदेश है अत: दिल्ली के बाहर से आने वाले अन्य राज्यों से मान्य चिकित्सा सर्टिफिकेट पर भी दिल्ली में चिकित्सा करने की अनुमति दी जाये। सरकार व सरकार के ईशारों पर आर.एम.पी. डाक्टरों के साथ किये जा रहे अमानवीय व्यवहार को तुरन्त रोका जाना चाहिए। इस क्षेत्र में बहुत सारे डाक्टर तथा उनके परिवार का जीवन निर्भर करता है। अत: इनके साथ मनमानी न कर कोई न कोई रास्ता निकालकर विधि इन्हें स्थापित किया जाये ताकि आगे आने वाले समय में भी बिना किसी नियम कानून के कोई मनमानी न करें।

श्री करण सिंह पंवर : अध्यक्ष जी, दिल्ली कैन्ट विधानसभा में अनंतराम डेरी नामक एक अनधिकृत कालोनी है। इसको सैनिक फार्म महेन्दरू इंकलेव कालोनी के साथ जोड़कर

अनअप्रूव्ड कालोनी घोषित किया हुआ है। जोकि बिल्कुल गलत, मनगढ़त व बेबुनियाद है। क्योंकि अनन्तराम डेयरी कालोनी में 98 के ऊपर के लोगों 20-20 गज के झुग्गी-झोपड़ी नुमा कालोनी में रहते है। कालोनी घोषित करने के कारण विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। कृपया न्याय दिलाया जाए।

श्री सतप्रकाश राना : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र बिजवासन विधान क्षेत्र में बनाये जा रहे रेलवे ओवरब्रिज की ओर दिला रहा हूं। यह ओवर ब्रिज वर्ष 2009 में बनना प्रारम्भ हुआ था और बताया गया था कि दिसम्बर, 2011 तक बनकर तैयार हो जायेगा लेकिन वर्तमान में निर्माण की जो गति है उससे लगता है कि अभी निर्माण में बहुत समय और लगेगा। इस निर्माण कार्य की वजह से बिजवासन नजफगढ़ मुख्य मार्ग को बन्द कर दिया गया है और कोई वैकल्पिक रास्ता भी गांव के लोगों को नजफगढ़ की ओर जाने के लिए नहीं दिया गया है। गांव के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए करीब 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। गांव के लोगों का जीवन बहुत दूभर हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो स्वयं इस विषय पर ध्यान दें और इस आर.ओ.वी. के निर्माण में आ रही जटिलताओं को निर्माण कार्य के लिए जो घरों का और दुकानों का अधि ग्रहण किया गया है। इन लोगों को अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गयी और न ही इनको बदले में प्लाट या दुकान आदि देने की कोई योजना बनायी गयी है। अत: इन लोगों को प्लाट व दुकान आदि देने की योजना बनायी जाये और मुआवजा राशि भी तुरन्त दी जाये और इस आर.ओ.वी. का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

श्री वीर सिंह धिंगान : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ताहिरपुर की ओर दिलाना चाहता हूँ। उक्त अस्पताल का शुभारंम्भ लगभग सैकड़ों करोड़ की लागत से बनाया गया

यह अस्पताल पिछले कई वर्षों से तैयार पड़ा हुआ है किन्तु उक्त अस्पताल को अभीतक शुरु नहीं किया गया है। यमुनापार जहां दिल्ली का एक तिहाई आबादी रहती है, के लोग आज भी गम्भीर बिमारियों के लिए नई दिल्ली के अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। सरकार ने जिस उद्देश्य के लिये यह अस्पताल बनाया था, वह आज भी पूरा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी यह बात किसी से छूपी नहीं है कि यमुनापार में अत्यधिक पूर्नवास कॉलोनियां, झुग्गियां झोपड़ियां है जनता फ्लैटस है कुल मिलाकर अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। जोकि गम्भीर बिमारियों पर भारी भरकम रकम खर्च करने में असमर्थ रहते है उक्त अस्पताल के शुरू न होने से उन्हें इधर-उधर जाकर कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ ही रहा है इसके अलावा किराये पर बहुत मोटी रकम खर्च करने के पश्चात भी ईलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। हालांकि जब इसका उदघाटन किया गया था तो यमुनापार के लोगों में उक्त अस्पताल के निर्माण से लोगों में भारी उत्साह था, किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया है व उक्त अस्पताल के चालू होने के बार-बार देरी होती गई लोगों में मायूसी का माहौल बनता रहा। आज जब निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात उक्त अस्पताल के चालू न करने से यमुनापार के विशेषकर जिला उत्तर पूर्वी के लोग ठगा सा महसूस कर रहे है। हांलाकि यह मामला इससे पूर्व में सदन में उठता रहा है किन्तु खेद है कि उक्त मामले पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है।

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रमाकांत गोस्वमी, चुनाव मंत्री अपने विभाग से सम्बन्धित कागजातों की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

चुनाव मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से संशोधित कार्य सूची में दिए गए क्र. सं. 1 से 5 एवं 1 से 29 तक कागजात सदन पटल पर रखता हूं।

1. Notification No. 8 (N.C.T.D. No. 16) issued under No. CEO/EL.G/102(8)/2010/17350 dated 5.6.2011 regarding amendment in the Election Symbols (reservation and Allotment) order, 2011.

2. Notification No. 5 (N.C.T.D. No. 108) issued under No. CEO/EL.G./102(8)/2010/17350 dated 02.8.2011 and CEO/EL.G/102(8)/2010/17351 dated 2.8.2011 regarding disqualification for being chosen and for being a chosen and for being a member of either House of the Parliament of the Legislative Assembly or Legislative Council of State/UT.

3. Notification No. 1(N.C.T.D. No. 307) issued under No. CEO/EL.G/102(6)/2010/6247 dated 16.03.2011 regarding notification under Rule 8A of the REgistration of Electors Rules, 1960.

4 Notification No. 3(N.C.T.D. No. 6) issued under No./CEO/EL.G/102(5)/2011/8305 dated 08.3.2011 regarding updation of ECI Notification specifying the names of recognized National and State Parties register unrecognized parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and No. CEO/EL.G./102(5)/2011/8306 dated 8.4.2011 regarding amendments to its Notification dated 832011

5. Notification No. 1 (N.C.T.D. No. 238) issued under No. CEO/EL.G/102(14)/2011/01 to 07 dated 2.12012 regarding Beinnial Elections to 3 seats of Council of States to be held from NCT of Delhi.

II. **Shri Ramakant Goswami, Minister of Election** to lay the Copies of the following Notifications (English – Hindi Version).

1. No. F-12(1)/142/11/MW/Lab/2023 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

2. No. F-12(2)/142/11/MW/Lab/2024 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

3. No. F-12(3)/142/11/MW/Lab/2025 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

4. No. F-12(4)/142/11/MW/Lab/2026 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

5. No. F-12(5)/142/11/MW/Lab/2027 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

6. No. F-12(6-7-8)/142/11/MW/Lab/2028 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

7. No. F-12(9)/142/11/MW/Lab/2029 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

8. No. F-12(11)/142/11/MW/Lab/2030 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

9. No. F-12(13)/142/11/MW/Lab/2031 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

10. No. F-12(14)/142/11/MW/Lab/2032 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

11. No. F-12(15)/142/11/MW/Lab/2033 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

12. No. F-12(16)/142/11/MW/Lab/2034 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

13. No. F-12(17)/142/11/MW/Lab/2035 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

14. No. F-12(18)/142/11/MW/Lab/2036 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

15. No. F-12(19)/142/11/MW/Lab/2037 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

16. No. F-12(20)/142/11/MW/Lab/2038 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

17. No. F-12(21)/142/11/MW/Lab/2039 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

18. No. F-12(22)/142/11/MW/Lab/2040 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

19. No. F-12(23)/142/11/MW/Lab/2041 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

20. No. F-12(24)/142/11/MW/Lab/2042 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

21. No. F-12(25)/142/11/MW/Lab/2043 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

22. No. F-12(26)/MW/Lab/2044 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

23. No. F-12(27)/MW/Lab/2045 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

24. No. F-12(28)/142/11/MW/Lab/2046 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

25. No. F-12(29)/142/11/MW/Lab/2047 dated 26.7.2011 regarding Revised Rate of Minimum Wages.

26. DLC/CLA/BCW/99/37 dated 9.11.2011 regarding Constitution of Expert Committee.

27. F-19(4)/CIS/05/3761 dated 11.11.2011 regarding Addition in Schedule in Delhi Shop & Establishment Act. 1954

29. F.17(20)/BOCW/Lab/06/4445 dated 12.1.2011 regarding Reconstitution of BOCWWB.

29. F-29/18/EPF/Lab/09/4058 dated 30.11.2011 regarding Employee Contributory Provident Fund & Misc. Provision Act, 1952.

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविन्दर सिंह लवली, परिवहन मंत्री दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. के वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

Minsiter of Transport : Sir, I beg to lay on the table of the House the copy of Annual Report of Delhi Metro Rail Corporation for the Financial Year, 2010-11.

उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब श्री नसीब सिंह धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। देखिए, जो सदस्य वैल में आए हुए हैं, मार्शल इन्हें बाहर ले जाएं। सचिव साहब, मार्शल्स को बुलाइए, जो वैल में हैं उनको सदन से बाहर निकलवाइए।..... व्यवधान

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो श्री अनिल भारद्वाज तथा श्री राजेश लिलोठिया ने रखा मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य में नारेबाज़ी करते रहे।)

अध्यक्ष महोदय : मार्शल अपना काम करें। इनको जल्दी ले जायें।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : सत प्रकाश जी चलिए। ...व्यवधान...

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब भी चलिए, चौहान साहब आप भी चलिए। सचदेवा जी। सत प्रकाश राणा।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं आप संबोधित कीजिए जाकर।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : चलिए गौड़ साहब, राणा साहब जल्दी चलिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : देखिये मैं डिक्टेट होने के लिए नहीं हूं। प्लीज चलिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। उठाना चाहते तो हल्ला नहीं करते आप। इन्हें लेकर चलिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, 280 में ही तो उठा रहे हैं। आपसे निवेदन करके रखा गया है। आपने उन्हें एजेन्डे में स्थान दिया है। वे उस पर बात करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब मैं आपसे विनम्रता से अर्ज कर रहा हूं कि यदि समय एलाउ नहीं करता तो सब को एक साथ होना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बाकी चीजें रोकिए, फिर बिल क्यों ले आये?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बिल अगली बार लाइये। चार दिन उसमें बीत गये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

डॉ. जगदीश मुखी : आप वायलेशन करके बिल इन्ट्रोड्यूस कराया आपने। चार दिन पहले सर्कुलेट होना चाहिए था। आपने सर्कुलेट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : चार दिन पहले नहीं। स्पीकर कभी भी कर सकता है।

डॉ. जगदीश मुखी : सर आपने ऑब्जेक्शन किया है कल। आपने कल मंत्री महोदय को कहा है कि पहले लेकर आइये।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

डॉ. जगदीश मुखी : आपको ऑब्जेक्शन था।

अध्यक्ष महोदय : आप चलिये बाहर।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : मैं नेम कर रहा हूं न। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सचदेवा साहब को भी ले चलिए। सभी को ले चलिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप चलिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : अब कर रहे हो कि नहीं .....

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। चलिए। नसीब सिंह जी बोलिये।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, कल हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा अपना भाषण पढ़ रहे थे और भाषण पढ़ते-पढ़ते...

...व्यवधान...

ये आपकी तरफ से प्रस्ताव आया है। आप प्रस्ताव ले आओ। हम प्रस्ताव ले आये हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रस्ताव युनेनिमस होगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं यह आपसे छूटा है। युनेनिमस नहीं कहा आपने। आपने कहा प्रस्ताव लाइये। हम प्रस्ताव ले आये।

डॉ. जगदीश मुखी : सर आप कस्टोडियन हैं हमारे अधिकारों के। हमारा अधिकार है कि यहां पर बात रखें 280 में। आप कस्टोडियन हैं हमारे और कस्टोडियन के नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उसी नाते से प्रो. साहब मैं बहुत कोआपरेट करता हूं। बहुत कोआपरेट करता हूं लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोआपरेशन नहीं मिल रहा है। ...वह इतिहास कर लेगा चलो कोई बात नहीं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि बिना युनेनिमिटी के कोई भी एजेन्ड़ा चेंज नहीं हो सकता। यूनेनिमिटी के बिना एजेन्डा नहीं बदल सकता। और यहां पर इसका मतलब कि ये जब चाहें सारे अपोजिशन को क्रश कर दें। अपोजिशन की कोई बात ही न आने दे।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आपके अकेले की बात मानता हूं कितनी बार। यूनेनिमिटी क्या करेगी।

प्रो. विजय कुमर मल्होत्रा : .....

अध्यक्ष महोदय : रेजोल्यूशन आपने ही करवाया है। आप मुकर रहे हैं, आपने रेजोल्यूशन करवाया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ...ये निकाल दीजिए।

...व्यवधान...

श्री नसीब सिंह : श्री साहब सिंह चौहान जी ने कहा था कि ये प्रस्ताव आ सकता है। तभी..... साहब सिंह चौहान जी ने कहा था कि प्रस्ताव ही इसको चेंज कर सकता है।

श्री हरशरण सिंह बल्ली : आप अपनी बात नहीं उठा सकते बिजली पानी के ऊपर। जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है....

अध्यक्ष महोदय : ये एल.जी. एड्रेस किस लिए है, उस पर उठा सकते हैं आप।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : फिर 280 क्यों लगाया।

अध्यक्ष महोदय : आपकी परम्परा बन गयी है, आपने परम्परा बना ली कि खुद बोलो और दूसरे को मत सुनो। ये नहीं हो सकता।

(.... चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये)

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर चलिए। बल्ली साहब बाहर चलिए हाउस चलने दीजिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर चलिए।

श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी एल.जी. एड्रेस पर आपने चर्चा एलाऊ की। हमें 110 मिनट मिले हैं और अपोजिशन को 93 मिनट मिले हैं, उसके बाद कहा जाता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता।

...व्यवधान...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, ये परिपाटी न बने तो ज्यादा अच्छा है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी यहां रूल करेगी और अपोजिशन को कहने का भी अधिकार नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ... आप अपोजिशन को टोटली क्रश करना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में हैं वाक आउट करना चाहते हैं।

...व्यवधान...

श्री नसीब सिंह : मल्होत्रा जी बैठिए न प्लीज।

अध्यक्ष महोदय : वे सुनाने नहीं चाहेगे आप बोलिए।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मल्होत्रा जी के भाषण का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री धर्मदेव सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, आप समय बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सोलंकी साहब हो गया।

श्री आसिफ मोहम्मद खान : .....

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : ये कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...नहीं, नहीं, ये प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री आसिफ मोहम्मद खान : .....

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा है?

श्री आसिफ मोहम्मद खान : .....

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए इसको, वे विषय नहीं है। आसिफ को बाहर ले जाइये।

(श्री आसिफ मो. खान वेल में आकर बैठ गये और मार्शल द्वारा उन्हें सदन से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : ये मेरी इजाजत के बिना जो बोल रहे हैं या इससे पहले भी जो बोला है, वह सब कार्यवाही से निकाल दीजिए। श्री नसीब सिंह जी।

(.... चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये)

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है कि विपक्ष एल.जी एड्रैस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने आप 93 मिनट बोले हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग 110 मिनट बोले हैं। लेकिन ये लोग हम को सुनने की नीयत से नहीं आते। आप यह ठीक कह रहे थे कि ये अपनी सुनाकर, दूसरे की बात सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने अपने भाषण में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं हैं और यह कहा कि जो पक्ष वाले लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं और यहां पर कुछ ऐसे आरोप भी लगाए कि दिल्ली में पिछले 12-13 सालों में जो घोटाले हुए और जुर्माने तक की बात कही गई कि हाई कोर्ट ने जुर्माना किया है हम तो वो जुर्माना किस वजह से हुआ वो पूरी दिल्ली भी जानती है। पूरे मीडिया ने बताया कि वकील ने न जाने की वजह से वो जुर्माने की बात आई। लेकिन अध्यक्ष जी, अब यहां पर नहीं हैं। लेकिन

इनसे यह पूछा जाए कि भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो जेल में गए। वहां के मंत्री आज भी जेल में पड़े हुए हैं। दिल्ली में ऐसे हालात तो पैदा नहीं हुए हैं। पिछले तीन टर्म से अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में काम न कराए होते तो ये सरकार और ये मुख्यमंत्री और ये मंत्री रिपीट नहीं होते। अध्यक्ष जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जैसे कल भी कहा और मैं तो अभी भी दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी इस दिल्ली के उस समय मुख्यमंत्री थे। जब मैं 1967 में पैदा हुआ था और अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार यहां विधायक बनकर इनके साथ यहां पर खड़ा हूं। इनकी प्रमोशन होकर ये पार्लियामेंट और देश की राजनीति करने के लिए जाते। अब ये इनके पूछा जाए कि इनकी ये demotion है या promotion है। अभी साहनी जी भी कल कह रहे थे कि फरवारी में, मार्च-अप्रैल में नगर निगम के चुनाव हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी ने नगर-निगम को जो नया ढांचा दिया है उसमें किस जिले में ये मेयर बनना चाहेंगे। यह तो ये ही तय करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अध्यक्षी जी, लोकायुक्त के पास कितने लोगों के खिलाफ झूठी सच्ची शिकायतें दी हुई हैं। अध्यक्ष जी, अभी तक कोई ऐसी बात हमारे सिरे नहीं चढ़ी है। मुख्यमंत्री जी के बारे में उनकी उपलब्धियों की सिर्फ इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं वे तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अध्यक्ष जी, तारीफों के पुल कैसे नहीं बांधे जायेंगे क्योंकि इस दिल्ली में जो पॉल्यूशन का हाल था। C.N.G. लाने के बाद जो पॉल्यूशन इस दिल्ली क्षेत्र में हटा है। जब 25 स्क्वायर किलोमीटर 1998 में ग्रीन एरिया हुआ करता था। आज 380 square kilometer green area है। इन 12 सालों में सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है। अध्यक्ष जी, बहुत ही आधारहीन आरोप लगाते रहे हैं। बहुत सारी बातें Common Wealth Games के बारे में भी कहते रहे हैं। अगर Common Wealth Games पर कोई कार्रवाई हुई है तो अध्यक्ष जी, आज Common Wealth Games की वजह से जो लोग जेल में बैठे हुए हैं। उनके बारे में इन्हें पता है और Common Wealth Games की बात करते। अध्यक्ष जी,

हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय मल्होत्रा जी भी उस कमेटी के एक मेम्बर थे। जहां Common Wealth Games को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व निभा रहे थे। अध्यक्ष जी, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि उस समय क्या हो रहा है। आज सिर्फ अपनी बात करने के लिए बातें करते हैं। बहुत सारी चीजों का आरोप लगाते हैं। इनके मुख्यमंत्री पर तो हत्याओं तक के इल्जाम लगाए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर एक मंत्री की हत्या का आरोप उसके घर वाले लगा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, यह आरोप हम नहीं लगा रहे। वहां पर जिस तरह से हत्याएं की गईं। लोगों की उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में उसकी पूरी तरह से तहकीकात और केस चलाए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्रियों पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए गए थे। आज हम लोग यह कहने के लिए तैयार हैं। अब ये यहां पर सुनने के लिए नहीं हैं। वे भ्रष्टाचार की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। अभी भी कुछ उठा रहे थे। लेकिन यह जगतजीत इन्डस्ट्री का मामला किसके समय में हुआ था। ये सुरा काण्ड किसके समय में हुआ था। ड्राप्सी का काण्ड किसके समय में हुआ था। अध्यक्ष जी, बहुत सारी चीजें हैं। आप कह रहे थे कि इन 12 सालों में कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार तीन-तीन बार श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है। यह ऐसे ही नहीं बन रही। 200 रुपए की पेंशन दिया करते थे। आज एक हजार रुपए की पेंशन लोगों को मिल रही है और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि 1500 रुपए जो कर दी है वो सभी के लिए कर दें ताकि उस बेचारे गरीब बुजुर्ग की, विधवा की, उस विकलांग की पेंशन 1500 रुपए से आगे बढ़ सके। अध्यक्ष जी, कितने सारे फ्लाई ओवर्स बनाए। किसी ने देखे हैं। यहां पर स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले दस वर्षों में मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जिस तरह से मेट्रो ने पूरी तरह से दिल्ली में जाल बिछाया। हम ने किस तरह से ट्रॉंसपोर्ट सिस्टम को

बदला है। आज वो रैड लाइन, ब्लू लाइन की बसें जो रोज़ हत्याएँ करती थीं। आज उनको सड़कों से हटाकर लो फ्लोर बसों का जो जाल बिछाया है। वो दिल्ली की उन्नति और तरक्की को अपने आप झलकाता है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अस्पताल बनाने के लिए काम हुआ है। डॉक्टर वालिया जी अभी बैठे नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर वालिया जी ने जब से हैल्थ डिपार्टमेंट संभाला है। आजादी के बाद 50 सालों में 8 अस्पताल हुआ करते थे। लेकिन इन 12 सालों में आज दिल्ली में 32 अस्पताल हैं। ये इन 12 सालों की उपलब्धियाँ 22-23-24 अस्पताल बनाना और 50 सालों में आठ अस्पताल बनना। कोई तरक्की का सबूत नहीं दे सकते। जितनी डिस्पेंसरियाँ खोला गई हैं। अध्यक्ष जी, वे टेलीविजन की बात कर रहे थे कि न्यूज 24 में कुछ दिखाया गया। इनके बंगारू लक्ष्मण को तो sting operation में जिस तरह से दिखाया गया। वे यह भूल जाते हैं कि अभी नगर निगम के मेम्बरों के साथ किस तरह से sting operation दिखाया गया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके समय में वाजपेयी जी के समय में जब डिफेंस मिनिस्टर अपने घर में सौदेबाजी कर रहे थे। उस समय की बात वे भूल जाते हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार का जो मामला है वो कुछ और होता है और दूसरों के लिए कुछ और होता है। अध्यक्ष जी, लाडली योजना हमारी मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसकी वजह से आप अगर आँकड़े उठाकर देखेंगे तो अध्यक्ष जी, जिस दिन ये लाडली योजना शुरू की गई। उस दिन जो बच्चियों का स्कूलों में.....।

अध्यक्ष महोदय : आप दो-तीन मिनट में खत्म की दीजियेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देगी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, ठीक है। मैं मोटी-मोटी चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूरा सदन भी जानता है। पूरी दिल्ली जानती है। दिल्ली ही नहीं आज इस दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के कामों को देखते हुए दूसरे

प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी हमारी लाइन पर काम करना शुरू किया। हमारे प्रदेश को देखकर काम शुरू किया है और किसी भी सरकार को बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों के लिए जो एवार्ड मिले हैं वो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के एवार्ड जितने मिले हैं, उतने शायद किसी और सरकार को न मिले हो। अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एम.सी.डी. को बाँट दिया। यह बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी एम.सी.डी में बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जो चोर बाजारी जो बुरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज unauthorized buildings अभी भी बन रही हैं। ये सरे आम बन रही है। लोग पैसे लेकर उन बिल्डिंगों को बना रहे हैं। लेकिन उनके आने वाले दिनों में क्या घातक परिणाम होंगे। इसके लिए सोचना हमारे लिए सोचना बड़ी मुश्किल बात होगी। अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। पिछले सालों में दिल्ली जल बोर्ड ने जो काम किया है। हर एम.एल.ए. को एक करोड़ रुपए के काम देने की बात आज तक कहीं नहीं कही गई है। यह 50 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज हम लोग एम.एल.ए. हैड से जो काम शुरू कराते हैं वो चार करोड़ रुपए कर दिया गया। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जितने सारे भी बोर्ड बनाए गए। ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया गया। सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी Financial Corporation बनाई गई। साहनी जी का चाँदनी चौक सिटी वाल्ड बोर्ड भी बनाया गया है। दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड बनाया गया है। इतनी सारी चीजें बनाने के बाद हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़े सुधार के रास्ते की तरह हम लोग आगे आगे बढ़े हैं। अध्यक्ष जी, उसी तरह से unauthorized colonies में सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे थे। अध्यक्ष जी, इन unauthorized colonies की बातों को ले लेकर हमारे इस दिल्ली के ऊपर पिछले 20 सालों में इतने सारे लीडर बन गए। जो unauthorized colonies की बात कर करके लीडर बन गए। किसी ने एक बात भी नहीं की। अगर शुरुआत की तो हमारी

मुख्यमंत्री जी ने की कि इन unauthorized colonies को प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर उनको एक नया रास्ता दिलाया। नहीं तो 30 सालों से हम भी सुन रहे थे कि unauthorized colony, unauthorized colony लेकिन इन unauthorized colonies के लिए काम आज मैं राजकुमार चौहान जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने unauthorized colonies में पैसे लगाकर लोगों को सुविधाएं दिलवाईं। जहां पर सड़के नहीं थीं। राम सिंह जी बैठे हैं। उनके इलाके में सौ करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगाया गया।

शुरुआत की तो हमारी मुख्य मंत्री जी ने की अनऔथराइज्ड कालोनीज को सर्टिफिकेट देकर एक नया रास्ता दिखाया नहीं तो 30 सालों से हम भी सुनते आ रहे थे कि अनआथोराइज्ड कालोनियों के लिए काम हमारे राजकुमार चौहान जी ने जिन्होंने अनआथोराइज्ड कालोनी में पैसे लगाकर लोगों को सुविधाएं दिलवाई, जहां सड़के नहीं थीं। रामसिंह जी बैठे हैं उनके इलाके में सौ करोड से ज्यादा पैसा लगाया गया। सबसे बड़ी बात आज टास्क फोर्स बना दी गयी, जहां भी कहीं छोटी मोटी ईंट लगाता है वहां उसको रुकवाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन मैं अपनी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने राजकुमार चौहान जी का जिन्होंने एक प्रपोजल दिया कि यदि कोई अपने घर की मरम्मत चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन दे दे उसमें काम हो सकता है। किसानों के बारे में आई.पी. यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई गयी, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है दिल्ली में वो शायद इतने बड़े प्रदेश में इतना काम नहीं हुआ हो। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, एक बात को और यह लोग उठाते हैं, कहते हैं जिसकी जानकारी यह लोग नहीं रखते हैं कि यमुना के लिए इतना करोड़ रुपया खर्च हो गया। लेकिन इनका यह समझाने की जरूरत पडेगी कि जो फावडे हैं वो यमुना नदी में नहीं चलाए जा रहे वो वहां चलाए जा रहे हैं जहां सीवर और गंदे नाले डाले जाते हैं, उनको रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां पैसा खर्च होता है। ये लोग यह सोचते है और पूछते हैं कि यमुना मैली का प्रोजेक्ट

कहां चल रहा है। हजारों करोड़ रुपये लग गये लेकिन वो हजारों करोड रुपये उस सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : खत्म कीजिए, सी.एम. साहिबा के बोलने के लिए समय नहीं रहेगा।

श्री नसीब सिंह : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 12-13 सालों में जो दिल्ली सरकार ने काम किये हैं, आने वाले समय में जनता इनको बता देगी, ये यहीं बैठे रहेंगे, और यहीं बैठे हैं अब तक तीन लोगों को बलि का बकरा बना चुके हैं अब पता नहीं किसकी बारी है, यह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : साथियों हमारे पूर्व साथी, श्री माननीय चरण सिंह कंडेरा जी एल.जी. दीर्घा में बैठे हैं, मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूं। अब सीएम साहिबा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगी।

Chief Minister: Thank you, Sir, Sir first of all, I would like to congratuate all our members who are here and who are not here fo this August House including most importantly yourself and all the citizens of Delhi for completing hundred years of Delhi as Capital.

ये दिल्ली का इतिहास को हजारों वर्ष पुराना है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो आज का कैपिटल नगरी मानी जाती है और जिसकी नींव 1911 में रखी गयी थी उसके सौ साल पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं समझती हूं हम सबके लिए मुबारकबादी है और उन लोगों के लिए मुबारक बादी है, जिन्होंने कलकत्ता से यहां दिल्ली में इनकी स्थापना की,

दिल्ली एक बदलता हुआ शहर है यह सच जानते हैं और यहां पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और यहीं समा जाते हैं और अगर कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है तो उसमें कोई इक्जेजूरेशन नहीं है वो वाकई दिल्ली दिल वालों की है सबको अपने सीने में लगा देती है। कहां कब 1947 में इंडीपेंडस हुआ था तो 11-12 लाख की यहां पर आबादी थी आज वहीं आबादी एक करोड़ सत्तर लाख की हो गयी है, बीजेपी के सदस्य ये सोचते हैं और ये बाते कहते हैं जिसमें वो इस तब्दीली को बिल्कुल नजरअंदाजी कर देते हैं। दिल्ली का जो क्षेत्र है वो forteen hundred and odd kilometers that has remained almost constant. Today, we have not only a large population, the density of the population is very high, probably the highest in the world. Sir, we also have gradually, the whole city becoming a city. It is becoming a city and agriculture, very little of that was there, is vanishing fast and more and more buildings are coming up. It has also reached a point where it is no longer an industrial state. It has become a services state and it provides the best possible services not only for the whole country, for the whole city ourselves but also supports the neighbouring states of U.P. and Haryana so that they can also economically come up. So, Delhi is the epicentre of all the growth that takes place in Northern India. It has traditionally been a trading city but today, it is a city of education, it is a city of health-care, it is a city of the wonderful Metro, it is city of about the best transport, it is a city which is about the greenest in the world, it is a city which takes in people and it is a city which is being planned and hopefully will be planned keeping the needs and requirements not only of those who rule the country, not only of those who are the richest members of our society, but also the poorest of the poor. We would like to welcome that, Sir.

I would not like to dwell too much on which has already been said by a lot of honourable Members, I would only like to answer some of the misconceptions which the BJP has, it has them or it does not have them, I do not know because

आंखें जो देखती हैं वो धोखा नहीं दे सकती हैं तो मुझे उम्मीत है कि जो दिल्ली की जनता की आंखें देखती हैं, बीजेपी की आंखें भी वहीं देखती होगी, अगर जो यहां पर कोई विकास हुआ है तो वो दिल्ली की जनता ने देखा है उसको परखा है इसलिए हमारी इस कांग्रेस पार्टी को तीन-तीन बार उसने चुना है कोई धोखे से नहीं चुना है। लेकिन इनको यह वहम है कि ये चार धरने कर देंगे, जैसा मर्जी आयेगा हाऊस चला लेंगे, जैसे उनकी मर्जी होगी वो कर देंगे और जितनी बातें ये करते हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है, यह मैं केवल स्पष्टता से कहना चाहती हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे सदस्य इस बात को मानेंगे बेसिस तो किसी चीज का होना चाहिए अब कह रहे हैं कि बिजली बहुत खराब है, पानी बहुत खराब है दिल्ली की हालत बदतर से बदतर होती चली जा रही है। Are you speaking the truth? What was the natuer of the availability of power and water when you were in power. For ten hours you wouldn't get water, I mean, the power. Water was unknown. And since then, we have added more and more people to our population. Inspite of that we have met the rising and increasing demand. जब यह थे पावर में तो 1700 या 1800 मेगावाट प्रति रोज खर्च होता था। आज वही डिमांड 5000 से ऊपर यह दिल्ली की सरकारी मीट कर रही है और यह कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। दो साल पहले, आज मई जन का अखबार उठा लीजिए, वो टैंकर्स की मार उन पर चल रही है, पानी की हाय हाय होती थी, वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे आज पिछले दो वर्षों में, पानी के लिए मैं नहीं कह रही हूं, दावा नहीं कर रही हूं कि सबको पर्याप्त पानी मिल रहा है,

पानी की कमी आज भी है लेकिन कम से कम जो हमारी आलोचना करते थे कि पानी ही नहीं है There were near riots for water, that scene is not available today. I will give you just two examples. बहुत सारे आज कल अखबारों में निकल रहा है कि स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं क्योंकि यहां की जनता को हमने जागरुक किया है कि Please educate your children. Take your girls to schools, take your boys to schools. That is why and because, Sir, we do not have land with us, the progress that we would like to make cannot keep up with the demand. We have created a demand. दिल्ली में हर माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहता है इतना ही नहीं, so-called public schools में भेजना चाहता है। हमारा शिक्षा विभाग हो या हमारा अस्पताल का विभाग हो, जमीनों के लिए हम तरस जाते हैं कि हमें एक डिस्पेंसरी बनानी है, स्कूल बनाना है, नहीं मिल पाती है, मल्टीप्लीसिटी आथोरिटी की है, सिस्टम में गड़बड़ है, इसलिए हमने इतने बरसों जो काम किया, जिसकी पूरी तस्वीर कॉमनवैल्थ गेम्स में आई, किस तरह से फ्लाई ओवर बने, जिन सड़कों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो सड़कें बनाई हैं, सलीमगढ फोर्ट की सड़क हो या बारामुल्ला की हो तो मुझे कोई बता दे कि ऐसी किसी ने देखी हो। तो ये किसने किया, हमने किया। हमने सोचा, चिंतन मनन किया। तो ये चीजें बदली है। कहां दिल्ली में एक समय था, दस साल पहली या पांच साल पहले जब से से लोग कहते थे कि राजस्थान का डेजर्ट सारा दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली भी डेजर्ट बन जायेगा।

आज वो बात नहीं है, आज दिल्ली हरियाली से भरी हुई है। हिन्दुस्तान की सबसे हरी नगरी है और विश्व की एक हरी नगरियों में से है। हैं कुछ कमियाँ, हैं कुछ खामियाँ लेकिन यह सरकार इसने संवेदनशीलता दिखाई है। सर, आज जो Citizens' Charter की बात की जा रही है या services time delivered, within time delivery

services की हो वो किस स्टेट ने सबसे पहले किया है दिल्ली सरकार ने किया है। Citizen' Charters हमारे तेजी से सब जगह लग रहे हें जिसमें हमारे सिटिजन्स को पता चले, वेबसाइट्स में आ गए हैं, दफ्तरों में लगाये जा रहे हैं कि आपको अगर जो यह काम सरकार से करवाना है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई लाइसेंस हो या कोई भी चीज़ आपकी हो तो यह समयबद्ध टाइम में आपको मिल जाएगा और अगर जो वो नहीं मिलता है। समयबद्ध टाइम पर तो जो ऑफिसर है, उसके साथ Service Level Agreement किया गया है उसको जुर्माना देना पड़ेगा प्रति रोज़ का। This is something we started about six months ago and I am sure, I would like to tell all the honourable Members that within one or two months, we will send each one of you a pamphlet also telling you what are the services available, within how much time you can get them and who are the people that you can complain to so that service delivery is good and this is the best thing that could have happened. करप्शन इससे कम होगा। बात कर लेना करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है और बात कुछ पता ही न हो। आपने करप्शन की बात की, लोकायुक्त की बात करी, लोकायुक्त के बारे में मैं बड़ी सीधी बातें कहना चाहती हूँ सर, लोकायुक्त में जिसने चाहा suo-moto भी उन्होंने recognition ले लिया, कोई भी किसी अखबार में कोई चीज़ हुई, लोकायुक्त कर रहा है, उनका अधिकार है किया। लेकिन हमने जवाब दिया, चाहे वो राजकुमार चौहान के किस्से का हो या मेरे बारे में कहा गया हो कि आपने इलैक्शन में कोई वायदें किये थे, हाउसिंग के लिए और वो पूरे नहीं हुए वो लोकायुक्त महोदय ने पूरा राष्ट्रपति तक भेजा और राष्ट्रपति तक ही नहीं भेजा through the Home Ministry गया और Home Ministry ने यदि लोकायुक्त की टिप्पणी को देखा, उसके साथ-साथ हमरे भी मांगे कि आप को क्या कहना है और जब उन दोनों बातों को देखा तब उन्होंने अपनी राय President of India को भेजी। President of India ने फैसला

किया कि हाँ चाहे राजकुमार चौहान जी का केस हो, चाहे शीला दीक्षित ने जो ये वायदे करे थे यह सही थे या नहीं थे यह हम इनको नकारते हैं I reject them. Sir, they think that they are higher than the President of India. Everybody thinks they are higher than the highest authority of this country. It is the right of the President of India to either reject or accept person who is being charged with hanging. You are going to challenge that also of the President of India. It is the President of India who decided this. We merely put across our Point of Order.

ये गुमराह लोगों को कर रहे हैं कि करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है। अरे, करप्शन की बात आप क्या कर रहे हैं, आप तो करप्शन को पनाह देते हैं, स्वागत करते हैं उसका। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है अभी, स्वागत करा है इन्होंने खुलेआम, करप्शन को अपने दिल में लगाया है और यह समझते हैं और मुझे खेद होता है कि we are a civilized country कि आप यह समझ लें कि दुनिया ऐसी है और हमारी जनता ऐसी बेवकूफ है कि वो जो हम कहेंगे वो ठक हो जाएगा। आज कह रहे हैं कि कुछ धरनों की बात चल रही है, आज कह रहे हैं कि बिजली की चर्चा नहीं होने दी। हमारे Whip ने जो मैम्बर बी.ए.सी. के हैं और तमाम मैम्बर्स ने कहा बी.ए.सी. में क्या-क्या चर्चाएँ आप चाहते हैं। इन्होंने बिजली की बात नहीं की, हम तैयार थे, हारून युसूफ जी बिल्कुल तैयार थे और हम उसका स्वागत करते कि हमें मौका मिलता कि हम लोगों को समझा सके कि हम क्या कर रहे हैं, किसलिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, but जब आता है चर्चा का वक्त तब भाग जाते हैं और आज भी यही किया। आज उनका मकसद यह था कि जो जवाब फाइनली हमें देना पड़ेगा Lt. Governor के भाषण पर जो हमें Thank you का प्रस्ताव पास करना पड़े उसमें वो शामिल नहीं होना

चाहते थे और यह बात हम 15 वर्ष से देख रहे हैं सर। कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, इतनी बुद्धि भगवान ने हमें भी दी है कि हम समझ जाते हैं बात कि यह किस वक्त यह जाना चाहते हैं बाहर। जब सरकार के सुनाने का वक्त होता है, जवाब देने का वक्त होता है तो ये शामिल नहीं होते हैं फिर वैल में आ जाते हैं। बहरहाल, बहुत सारे हमारे मैम्बर्स ने रेग्युलराइज अनअथोराइज कालोनीज के बारे में चिंता प्रकट करी थी I even though this was not a part of the speech of the Hon'ble Lt. Governor, I would like to put just some records straight. I want to give you a sequence of events. जो sequence में आपको पता चल जाएगा कि हमारा मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि हम अनअथोराइज कालोनीज को डेवलप नहीं करेंगे, हम करेंगे, जरूर करेंगे। सर, इसमें डिले ज़रूर हुआ है और डिले का कारण मुख्य यह रहा है कि इतनी एजेंसीज हैं एम.सी.डी. है इसमें, इसमें ए.एस.आई, है, इसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें डी.डी.ए. है, इसमें और तमाम एजेंसीज बड़ी, छोटी हैं, फोरेस्ट एरियाज का है, वगैरह-वगैरह उसमें बाधाएँ आईं। और हम यह नहीं चाहते कि हम काम कर दें और उसके बाद में हमें as a सरकार या तो कोर्ट फटकार दे या हमें कुछ अपना वायदा जो किया उसको वापस करना पड़ा। केन्द्र की सरकार में आपको याद होगा हम लोग गये थे, हमारी सरकार गई थी कि आप इन कालोनीज को मत तोड़ियेगा, इसमें लाखों लोग रहते हैं, और 1600 के करीब या प्लस इसके साथ ये कालोनीज हैं हम गये थे कि प्लीज इसका रास्ता निकालिये और श्री जयपाल रेड्डी जी जो उस वक्त मिनिस्टर थे उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने प्रधानमंत्री, सोनिया जी से पूछ कर कि लाखों आदमी का हम क्या करेंगे जो बसे हुए हैं 2002, 2003, 2007 से कब से बसे हुए हैं क्या उनको हम तोड़ देंगे? तो अब यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स का मामला निकाला गया था और यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट के मायने यह है कि आज हमने आपको recognition दे दिया है कि हाँ आप यह कालोनी है लेकिन फाइनल नहीं दिया है। फाइनल आपको तभी मिलेगा जब उसके जितने पैमाने हैं कि फोरेस्ट लैंड नहीं है, ए.एस.

आई. के पास नहीं है, प्राइवेट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, डी.डी.ए. की लैंड है, ये सब चीज़ें जब हम कर लेंगे जिसमें एम.सी.डी. की हमें बहुत सारी मदद चाहिए थी नहीं कर पाई। क्योंकि पेचीदा मामला है मैं उसको इस वक्त कोई दोष नहीं देना चाहती। इसके साथ-साथ बाउंड्रीज जो लगानी चाहिए थी वो तभी बाउंड्रीज लग सकती थी, जब यह पता चलता कि हाँ This is a colony which is clear, which is built over fifty percent, which is not on forest land, which does not have ASI, which does not belong to a government land. इन सब चीजों को देखते हुए काम किया, बहुत सारा किया गया लेकिन उसके साथ-साथ यह आ गया कि यह सब करिये, तब यह फैसला किया गया कि हम जो हमारा वो क्या है स्पेस वाला, sorry सर्वे ऑफ इंडिया को देंगे वो तस्वीरें बनायेगा। उसमें से बाउंडरी बना दी जायेंगी। आज मैंने सुबह खुद इंस्पेक्ट करी। वे काफी सारी आ गई हैं। लेकिन अभी बहुत सारी अभी आनी हैं और मैंने डिपार्टमेंट से बात करी है और मुझे यह वायदा दिया गया है कि आने वाले एक दो महीने में इसको स्पष्ट कर दिया जायेगा, पूरे मेप्स आ जायेंगे और आपका काम शुरू हो जायेगा। मैं इतना और भी कहना चाहती हूं कि चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन पानी, बिजली, सड़क चाहे वे कालोनी ओथराईज्ड हों या अनोथराईज्ड हों उसको हम ये सुविधाएं देंगे, क्योंकि हमारी जनता उसको चाहेगी। इसमें हम कोताही नहीं बरतने वाले हैं। ये जो तौर और तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो लॉ-फुली एक्टीविटी हम करना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए है जिनको बाद में दिक्कत न हो। जिनके सिर के ऊपर तलवार न खड़ी रहे कि पता नहीं किस दिन बुल्डोजर आएगा और हम को तोड़ कर चला जायेगा। इन चीजों का इतियाज रखते हुए, यह काम हम करेंगे और मैं आपको जैसा मैंने कहा है, स्वयं हम सब लोग इसको मिल कर देखेंगे। पूरी कैबिनेट देखेगी। जहां जिसकी जरूरत होगी उसको करेगी। हम करेंगे और केन्द्र की सरकार के पास भी जायेंगे कि जितने ये पेचीदे और एतिहासिक अब हो गए हैं पुराने रूल, रेगूलेशन हैं, इनको भी आप बदलिये। जैसे आपने

हमारी मदद करी थी और प्रोवीजनल सर्टीफिकेट दिए थे। इसी तरह से हम चाहेंगे कि रूल, रेगूलेशन भी कम करें। उसका भी हमने आज फैसला किया कि उसको कम करेंगे कि किस तरह की फेसीलिटीज होनी चाहिये, किस तरह की बुनियादी आवश्यकतायें होनी चाहियें before a colony can be made a permanent colony. So, therefore, it is not then to be destroyed or demolished and school can be made there, small dispensary can be made there, we are trying to do that and I can promise yoiu कि हमारे मन में कोई खोट नहीं है। हम चाहते हैं, हम करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि बहुत सारे हमारे एम.एल.ए. साहेबान चाहे उस तरफ बैठे हों, चाहे इस तरफ बैठे हों। इनके लिए दिक्कत है। क्योंकि लोग आकर इनको परेशान करते हैं कि कब होगा और उनके मन में भी धुक-धुकी रहती है कि पता नहीं आज हमारी यह कॉलोनी है, कल यह तहस-नहस न हो जाये। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब तक हम यहां पर हैं, हम लोग संवेदनशीलता से काम करेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि हमारी इन कॉलोनीज को तहस नहस किया जाये। हां, थोड़े काम में विलम्ब हो सकती है, लेकिन उसे भी जैसे मैं फिर दोहरा रही हूं, हम जल्द से जल्द काम करके इसको शुरू करेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों न हो।

सर, यह जैसे मैंने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है और उम्मीद यही है, उन्होंने कहा 15-20 दिन में हमें सब मेप मिल जायेंगे। मैं समझती हूं कि 15-20 दिन नहीं तो महीना, सवा महीना में मिल जायेंगे। उसके बाद यह काम होगा। और मैं आपसे एक रिकवेस्ट और करना चाहती हूं कि कभी भी आपको सुझाव देना हो, कभी भी आपको कुछ कहना हो आपका स्वागत है। यदि कोई किसी कारण से नहीं मिल सकता तो मैं आपके लिए हाजिर हूं, भले ही आप 24 घंटे रात को 12 बजे आयें या ना आयें। काफी एजेंसीज हैं जो डेवलपमेंट वर्क करेंगी डीएसआईडीसी है, एरीगेशन फल्ड कंट्रोल है, डिस्कॉम है,

डीजेबी है, एमसीडी वगैरह ये सब है। इन सब का भी एक समन्वय करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और समन्वय इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर जो बिजली वाले अपनी एक लाईन लगा रहे हैं। उस लाईन के बाद पानी वाले आ जाते हैं कि हमें अपनी लाईन लगानी है। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें तो यहां खम्बे खड़े करने हैं। यह जो समन्वय बनाना है, यह दिल्ली की एडमीनिस्ट्रेशन में कमी है। हमारे यहां multiplicity इतनी ज्यादा है, डीजेबी कुछ कह रहा है, एमसीडी कुछ और कह रही है। यह सड़क एनडीएमसी की है, वो सड़क एमसीडी की है वगैरह यह सब अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन वो समन्वय कैसे बने, जिसमें एक ही वक्त पर काम हो जाये। बार-बार खुदाई न करनी पड़े। जिसमें विलम्ब भी न हो। हमारा यह मकसद है और इसको हम आने वाले दो-चार महीने में पूरा करेंगे। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मल्होत्रा जी ने कहा कि क्या दिया आपने, कुछ भी नहीं करा। यह तो वैसा सा है। कौन सा भाषण है, कौन सी बड़ी चीज हो गयी। सबसे बड़ी चीज हो हमने करी, जिसके लिए 12-15 साल से हम सब लोग चाहते थे वो एमसीड़ी का ब्रेक-अप करना। उसका मकसद यह नहीं है। मुझे मालूम है आपमें से कोई नहीं बनना चाहता कि मैं मेयर जा कर बनूं, कार्पोरेटर जा कर बनूं। आप लो ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों से उससे फायदा हो, उस एडमीनिस्ट्रेशन से नजदीकी हो इसलिए तीन विभागों में किया। पार्टी का पूरा समर्थन हमें मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें समर्थन मिला। इसलिए यह बहुत बड़ा एतिहासिक फैसला लिया। फिर इससे भी ज्यदा एतिहासिक फैसला लिया है अगर जो तो 1980 के दशक में सर, पहली मर्तबा राजीव गांधी जी ने 33 परसैंट महिलाओं को आरक्षण दिया था, याद है आपको। उसके बाद जब-जब आरक्षण की बात असेम्लीज में या पार्लियामेंट में आई तो कुछ न कुछ हमारी जो पोलीटीकल पार्टीज हैं जो इसको रोक देती हैं। बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत है वो किसी के पीछे छुपकर अपनी बात कहलवा देती है। उस जमाने में भी उन्होंने लालू प्रसाद जी को और मेरा ख्याल मुलायम सिंह जी को आगे रख दिया था कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। पीछे छुप गये थे और दुनिया को बता रहे थे। अब की

बार भी यही हुआ है। लोकपाल बिल के वक्त भी आप लोग सब पोलीटीकल लोग हैं, सब समझते होंगे कि क्या खेल रचा गया, कैसे किया गया। 50 प्रतिशत हमने एमसीडी में महिलाओं को दिया है और यह अब की बार चुनाव में लागू हो जायेगा और यह हिन्दुस्तान का पहला शहर होगा बाकी शहर इसकी चर्चा कर रहे हैं। मुम्बई चाहता है, पूणे शायद चाह रहा है, औरंगाबाद या कोई और शहर चाह रहे हैं कि 50 प्रतिशत आरक्षण दें लेकिन लागू होगा तो सबसे पहले दिल्ली में होगा और वो आपकी वजह से होगा। मुझे मालूम है कि मतीन भाई को इसमें कोई शक और शुबाह है, लेकिन इसके बावजूद हम हसको करेंगे और यह पहली मर्तबा होगी कि 50 प्रतिशत हमारी महिलायें।

चौ. मतीन अहमद : सारे देश में आप जैसी महिला नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात तो मैं अंत में कहला चाह रही हूं वो यह है कि हमने चौमुखी विकास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का कितना बना है यह सब जानते हैं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन प्लान के बजट में 2011-12 के साल में हमने 53 परसैंट सोशल सेक्टर को एलोकेट किया है और सर, उस सोशल सेक्टर में चाहे पेंशन हों, आज अगर जो बहुत सारी बात हफ्ता भर पहले कह रहे थे कि इतनी शीत चल रही है दिल्ली में कोई रैन-बसेरे नहीं हैं, आज 64 रैन बसेरे थे। पिछले साल आज 136 रैन बसेरे काम कर रहे हैं। उसमें खेद यह है कि उन रैन बसेरे में जितने लोग हम चाहते हैं, रख सकते हैं, वो नहीं हैं। यह निशानी हमारी और किसी चीज की नहीं है कि हममें संवेदनशीलता है। हमसे कहा गया हमें एहसास हुआ जब 64 की जरूरत थी तो 64 किये, फिर 90 करे और अब की बार हमने 136-137 रैन बसेरे बनाये हैं ताकि कोई शीत में न रहे। आपके यहां भी कोई ऐसा हो तो बता दीजिएगा। हम वहां पर रख देंगे। और हमने लड़कियों के लिए लाडली योजना शुरू की थी उसके बाद किशोरी योजना शुरू करी है। एससी/एसटी स्टूडेंटस के लिए आओ, आप पढ़ो, लिखो हम आपको वजीफा भी देते हैं we will give you uniforms, we will give you books.

Come out and read. Come out and we have planning to see. We are already paying one thousand rupees as pension, as widows and old people pension. We are doing that. We are hoping that if we are able to collect enough funds and all of you help us to get more funds, we will be able to make these pensions even more than they are today.

23 परसेंट हमारा रेवैन्यू का कलैक्शन का इनक्रीज हुआ है। सारे देश भर में दुनिया में नमी छायी हुई थी, सब घबरा रहे थे कि पता क्या होगा, इकोनामी डूबेगी। मुझे फक्र है उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है हमारा किसी का नहीं है दिल्ली के निवासियों ने अपने टैक्सीज को पे किया 23 परसेंट राइज हमारा टैक्सेज में हुआ है। यह 23 परसेंट जो राइज हुआ है यह वापस जनता को ही जाएगा, हमारी किसी की जेब में नहीं जाने वाला है। It will to back to the Janta in the form of infrastructure, in the form of better services, in the form of more help to those who are marginalized. EWS Housing is our priority and I will say that we have to do it. जल्द से जल्द करना है, डीडीए से भी हम मीटिंगस कर रहे हैं कि जो उनका हिस्सा है वो जल्दी से बनाएं, जो हमारा हिस्सा है हम जल्दी से बनाएं जो जिसका हिस्सा है वह जल्दी से बनाएं, मेरे ख्याल में जनवरी के अंत में या मार्च के शुरू में हम करीब 15 हजार मकान आबंटित कर देंगे। करीबन 20 हजार मकान तैयार हैं लेकिन प्रोसिस टाइम लेते हैं वो कर देंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि दिल्ली खुशहाल हो, दिल्ली मुस्कुराए, कल्चरल एक्टीविटीज जो आज दिल्ली में हो रही हैं और बम्बई से लोग आते हैं, हसन भाई तो जानते हैं बम्बई बहुत जाते हैं, कि बम्बई वाले कितना अपने पर गर्व और फक्र महसूस करते थे कि हम कल्चरल कैपिटल इंडिया का है और आज वो हमसे कह रहे हैं कि आज कोई कल्चरल कैपिटल इंडिया का बना है तो वह दिल्ली बना है। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि हम अब आराम से बैठ

जाएं दिल्ली में कभी विराम या फुलस्टाप नहीं आता है। एक वाक्य पूरा किया तो दूसरा खड़ा हुआ होता है। We have to continuously work for the people of this Delhi, of this great city, of this heritage city, of this historical city but we also have to work for what is our nation's capital city. Thank you very much, Sir.

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब प्रश्न है कि श्री अनिल भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत एवं श्री राजेश लिलोठिया द्वारा समर्थित प्रस्ताव कि ''यह सदन उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2012 को विधान सभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है।'' सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

इसकी सूचना माननीय उपराज्यपाल महोदय को भिजवा दी जाएगी।

अब सदन की कार्यवाही जलपान हेतु 4.50 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही जलपान हेतु 4.50 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई)

विधेयकों पर विचार एवं पारित करना

सदन अपराह्न 5:00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री पीठासीन हुए)

विधेयकों पर विचार एवं पारित करना

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित प्रस्ताव करेंगी कि 11 जनवरी, 2012 को सदन में पुरः स्थापित 'दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक', 2012 (विधेयक सं. 2) पर विचार किया जाये।

Chief Minister : Sir, I beg to take your leave and permission to move that "The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 02 of 2012) introduced on 11th January, 2012 may be taken into consideration and also to move tht the Bill may pleased to passed.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगी।

Chief Minister : Thank you, Sir. Sir, this Bill intends to amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004. The salient features of the Bill intend:

To bring uniformity in the definition of purchase and sale turnover in Section 2, the definition of purchase turnover is proposed to be amended.

The existing definition of purchase is inclusive of tax while the existing definition of sale is exclusive of tax. To smoothen the tax planning and make it more efficient, time for payment of net taxes proposed to be reduced from 28 days to 21 days by amending Section 3.

To reduce the limitation period for revision of returns and filing of objection for correction of deficiencies in return from frou years to one year, Section 28 is proposed to be amended.

To provide for treating any digitally signed electronic return as the return in the DVAT Act, Section 29 is proposed to be amended.

To further extend the period of limitation prescribed under sub-section (10) of Section 74 of the DVAT Act by another year, Section 74 is proposed to be amended which would mean that these appeals would have to be decided by 31.3.2013 instead of 31.3.2012.

For conferring power on the High Court to condone the delay in filing of appeals, a proviso was inserted in Section 81 through the Delhi Act 12 of 2010 which took effect from 1st Feb., 2011. While the intended purpose of the amendment was to make the provision applicable to some appeals which were dismissed by the Hon'ble High Court for delayed filing before the amendment, the earlier amendment can achieve its purpose/objective only if the amendment is given effect retrospectively which is being attempted through the proposed amendment in Section 81.

To provide for a specific saving clause in respect of the power of revision under the Delhi Sales Tax Act, 1975, Section 106 of the Delhi VAT Act, 2004 is proposed to be amended on the suggestion of the Additional Solicitor General of India.

The Delhi VAT (Amendment) Bill, 2012 does not involve any additional financial implications, Sir.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड 2 से खण्ड 8 तक विधेयक के अंग बने:

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि 'दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012' को पारित किया जाये।

Chief Minister : Sir, with your kind permission, I move that "The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 02 of 2012) be kindly passed.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि 'दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012' अब सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अब श्री हारून यूसुफ, विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 11 जनवरी, 2012 को सदन में पुर:स्थापित 'दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक 2012' पर विचार किया जाए।

विकास मंत्री : Sir, I beg to move that "The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2011 may be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अब श्री हारून यूसुफ, विकास मंत्री 11 जनवरी, 2012 को सदन में पुरः स्थापित 'दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक 2012' के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

विकास मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, it has been observed that as on 31.03.2011, the total issued and subscribed capital of the Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd. (DCHFC) is Rs. 3,142.13 lakh out of which Rs. 3,026 lakh is subscribed by the Govt. of NCT Delhi and Rs. 116.13 lakh is subscribed by the member, Cooperative Societies of Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd. which comes to 96.3% and 3.7% respectively.

The share capital of the Government of NCT of Delhi has gone up from Rs. 64 lakhs to Rs. 3026 lakh whereas the share capital of the member, societies of Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. has gone up from 72.93 lakh to Rs. 117.59 lakh.

As per the provisions of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003, with 96.3% holding in the Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. The Government is entitled to nominate only eight Directors out of total strength of eleven Directors.

However, with minor stakes of 3.7%, the member, societies are entitled to elect three members and are having 1276 votes in the General Body since the number of member societies of Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd. as on 31.3.2011 is 1276.

There is thus a need for re-appropriation of number of Directors nominated by the Government and the value of the vote of Directors as compared to the one vote per society.

Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड 2 जिसमें धारा 25 का संशोधन है, विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-2 जिसमें धारा-25 का संशोधन है। विधेयक का अंग बन गया। प्रश्न है कि खण्ड-3 जिसमें धारा-35 का संशोधन है, विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-3 जिसमें धारा-35 का संशोधन है, विधेयक आ अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक, विधेयक का अग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।

अब विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक 2012' को पारित किया जाए।

विकास मंत्री : Hon'ble Sir, I beg to move that "The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2011 may be passed.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।

'दिल्ली सहकारी समितियाँ संशोधन विधेयक, 2012' पारित हुआ।

अब दिल्ली नगर निगम पर अल्पकालिक चर्चा होगी।

अल्पकालिक चर्चा

श्री कँवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दिल्ली के हमारे तीन राज्यसभा के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, पूरा सदन उन्हें बधाई देता है।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब अल्पकॉलिक चर्चा पर डॉक्टर नरेन्द्र नाथ जी अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा संक्षेप में ही करियेगा।

डॉ. नरेन्द्र नाथ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था तथा जन सुविधाओं के लिए नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने के लाभ पर चर्चा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में क्यों बाँटा गया। इसका क्या कारण रहा। मैं इसके बारे में सब से पहले चर्चा करना चाहता हूँ। दिल्ली नगर निगम ने पाँच साल से बी.जे.पी की सरकार है और बी.जे.पी. की सरकार पूरे पाँच साल के अंदर हर फील्ड के अंदर चाहे वो हैल्थ है, चाहे वो एजूकेशन है, चाहे वो सेनिटेशन है। चाहे वो environment है। यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। सब से बड़ी बात है वित्तीय जो अनुबंध रहा, Financial irregularities इन पाँच साल के पीरियड में सब से ज्यादा रही है। कहने की बात यह है कि कॉर्पोरेशन के पास जब भी कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है तो वे यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। यह पैसा नहीं होना जन-सुविधा जनता को नहीं देना।

मैं यह समझता हूं कि 5 साल में जो बी.जे.पी की जो सरकार वहाँ पर रही है वो शासन करने के लिए पूरी तरह से विफल रही है। इन्होंने बहुत लोगों से वायदे किए थे कि सीलिंग और तोड़फोड़ नहीं होगी। उसमें भी सरकार विफल रही है।

अध्यक्ष जी, सब से बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर unauthorized मोबाइल टॉवर्स छतों पर लगा दिए जाते हैं, जिसमें चार हजार से भी ज्यादा टॉवर्स आज हैं और जिनकी दो हजार something की पर्मीशन नगर निगम की है। बाकी कोई नगर निगम की पर्मीशन नहीं है और वो टॉवर्स बराबर इसी प्रकार से लगाए जा रहे हैं। घोघा डेरी के अंदर जो डेरी वालों को प्लॉट्स देने थे। वहाँ पर भी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कुछ 232 लोगों को कुछ प्लॉट्स दिए गए। न वहाँ पर पानी की सुविधा है और न वहाँ पर पानी की सुविधा है। न वहाँ पर और कोई कार्रवाई की गई है और इसलिए वो लोग तंग आकर उन्होंने कॉर्पोरेशन के चक्कर लगाने बंद कर दिए कि यहां पर हमें कुछ मिलना नहीं है। उसके अंदर भी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 2021 की जो मास्टर प्लान आई। उसको लागू करने के अंदर भी कॉर्पोरेशन की एक अपनी, उन्होंने यह दिखाया कि हम अभी इसको लागू नहीं कर सकते। उसके अंदर भी ये सरकार विफल रही है।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए।

डॉ. नरेन्द्र नाथ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो छोटी सरकार है और तुम बड़ी सरकार हो।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए।

डॉ. नरेन्द्र नाथ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मानने की बात हो तो मैं मानूं। चार, पाँच साल के अंदर करीब करीब 1500 करोड़ रुपया इन्होंने conversion charges लिया और उसको यह कहा गया कि हम पार्किंग एरियाज को डवलप करेंगे। मात्र कोई एरिया भी शायद तीन पार्किंग एरिया भी मुश्किल से डवलप नहीं कर पाए और इनके बाकी सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। ये जब लोगों से conversion charges, notified road के ऊपर इस शर्त पर लिया था मि हम इनसे जो पार्किंग एरियाज हैं। हम उनको डवलप करेंगे। एम.सी.डी. की जो financial condition is not good at all. 17 रेलवे ओवर ब्रिज बनने थे। अंडर ब्रिज बनने थे। उसमें से मात्र तीन ही बन पाए। बाकी सारे पेन्डिंग पड़े हुए हैं और उनका काम अधूरा पड़ा है वो भी पूरे नहीं हुए। Multiple level parking 24 parking स्थल इन्होंने चिन्हित किए थे। उसमें से सिर्फ तीन पर कार्य हुआ। शेष पर अभी काम होना बाकी है। Common Wealth Games के दौरान एक हजार वॉटर लैस urinal बनने थे। उसमें से उन्होंने कुल 50 परसेंट बनवाए। उन्होंने 50 परसेंट ऐसे ही छोड़ दिए। जोकि अभी तक नहीं बन पाए हैं। 216 अति आधुनिक शौचालय बनने थे। उसमें से केवल आठ ही बन पाए। नगर निगम के अंदर बी.जे.पी. की जो भी वहां सरकार बैठी है वो टोटली बिल्कुल फेल रही है। कूड़े उठाने के लिए ट्रकों का पता ही नहीं रहता कि कहां चले जाते हैं। यमुना पार विकास बोर्ड से मैंने इनको यमुना पार से कूड़े को लिफ्ट करने के लिए 32 ट्रक दिए थे। आज एक भी ट्रक कहीं पर नजर नहीं आता कि यमुना पार विकास बोर्ड ने जो ट्रक दिया वो ट्रक कहां गए और कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पर उनको रखा गया है। हम ने उनको 1620 दिए थे कि लोग उसमें कूड़ा डालें। उन 1620 का आज शायद एक का भी नहीं पता और नगर निगम ने आज तक किसी के भी खिलाफ कोई एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराई कि ये हमारे कूड़ेदान कहां पर गए हैं। कहाँ पर मिस हुए। इनको कौन लेकर गया। आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं है। एजूकेशन के अंदर नगर निगम की जो प्राथमिक बेसिक एजूकेशन है, प्राइमरी एजूकेशन उसकी बहुत हद तक बहुत ही हालत खस्ता है।

33 स्कूल बिल्कुल जर्जर बिन्डिंग्स में चल रहे हैं, जो किराये के अंदर बिल्डिंग हैं। वहां पर कभी भी कोई घटना हो सकती है और वहां पर कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। पांच साल के अंदर ये बीस स्कूल मर्ज कर चुके हैं, प्राइमरी सेंटरल स्कूल खोले थे, उनको खत्म कर चुके हैं। समुदाय भवन, दिल्ली के अंदर 235 हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज उन सबकी हालत बहुत खराब है। यमुना पार विकास बोर्ड ने 50 बारात घर नगर निगम को बना कर दिये हैं, उनकी देखभाल नहीं होती। शौचालय में वाशबेसिन टूटे हुए हैं, दरवाजे-खिड़कियां टूटे हैं, उनकी चिटकनियां टूटी हुई हैं। कोई भी चीज वहां पर नहीं है, न ही उनकी कोई देखभाल करने वाला है। एक बात जरूर थी, एमसीडी वालों। बीजेपी वालों ने एक बहुत ही आधुनिक काम किया। सड़कों, गलियों और पार्कों के नामकरण, पांच साल का आप इनका लेखा जोखा उठा कर देख लीजिए, कितनी गलियों और सड़कों के नाम, काऊंसलर के पिता का नाम से, उनकी माता के नाम से, भाई के नाम से, रिश्तेदार के नाम से है। एक ऐतिहासिक प्लेस चांदनी चौक उसका भी नाम बदलने के लिए मेयर ने रेज्योलूशन पास कर दिया।

मैं अपनी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें इंटरफेयर किया और कहा कि चांदनी का नाम एक ऐतिहासिक नाम है और यह बदला नहीं जायेगा, इसका नाम यही रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो चांदनी चौक का नाम भी चेंज हो जाता। शायद वो भी किसी बीजेपी के नेता के नाम से रखा जाता। जो बीजेपी वालों ने छोटी-छोटी गलियों और सड़कों के नाम बदलवा कर काम किया मैं समझता हूं कि सबसे घटिया काम किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिनके नाम से यह चीज रखी गयी है, उनका देश और प्रदेश के लिए क्या कांट्रीब्यूशन है। कोई नहीं है खाली यह है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाऊस टैक्स कारपोरेशन के पास एक ऐसा सोर्स है जिससे ज्यादा क्लेशन करके ये अपनी फाइनेंस हालत को सुधार सकते हैं लेकिन उसमें भी इन्होंने कमी की।

2005 में यूनिट एरिया प्रणाली सिस्टम शरू हुआ मात्र दस लाख प्रोपर्टी का उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ जो लोगों ने रिटर्नस भरी उन लोगों से भी आज तक यह हाऊस टैक्स क्लेक्ट नहीं कर पाये। दिल्ली में करीब 30-40 लाख प्रोपर्टी हैं अगर यह प्रोपर्ली हाऊस टैक्स क्लेक्ट करें तो मैं कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव रहता है, हम काम नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये प्रोपर्टी टैक्स सही तरीके से इकट्ठा करें तो इनको पैसे की दिक्कत भी नहीं होगी और कारपोरेशन का काम भी सुचारू रूप से चल सकता है। आय और व्यय में असंतुलन हैं, अनियमितताएं हैं। 2009 में इनकी इन्कम हुई है 3165 करोड़ और इन्होंने 3641 करोड़ खर्च किये। 2009-2010 में आय हुई 3638 करोड़ और खर्च किये 4400 करोड़। 2011-12 में आय थी 5601 करोड़ थी और अब तक इनके 6224 करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो आप यह बताइये नगर निगम कैसे चलेगी, आप अनुमानित कुछ करते हें, कलेक्शन कुछ करते हैं। और उसके बाद खर्चा आपको इतना हो जाता है कि जो सुविधाएं आप दिल्ली के लोगों को देना चाहते हैं, वो आप दे नहीं पाते हैं और अगर आप हाऊस टैक्स सही ढंग से इक्ट्ठा करें तो मैं समझता हूं कि पैसे की कमी नहीं होगी। इंजीनियरिंग विभाग में इतनी धांधलेबाजी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है, 2009-10 में 6000 करोड़ रुपया उनको खर्च करने के लिए दिया गया। 2010-2011 में 797 करोड़ रुपया दिया गया और सड़कों की हालत देखों। जितने हमारे देहात के एमएलए हैं सब सड़कों के लिए रोते हैं, छह-छह फुट के गड्डे सड़कों में हो रहे हैं। दिल्ली सरकार को काम करने देते हैं, कहते हैं कि ये सड़कें हमारी हैं।

मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि साठ फुट से जो भी सड़के थीं, वो दिल्ली सरकार ने लेने का फैसला किया है और उनको विकसित करने का फैसला किया है मैं उनको बधाई देता हूं कि ताकि वो सड़कें आराम से विकसित हो जाएंगी और बन भी

सकेंगी। अनधिकृत कालोनियों के नक्शे पास करने के लिए आप डॉ. वालिया से पूछिये कि कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि उन नक्शों को एमसीडी ने पूरी तरह से पास नहीं किया है इसलिए ये कहते हैं कि हम कालोनी पास नहीं करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, नगर निगम नहीं करना चाहती, अगर वो समय पर पास करके दे तो दिल्ली सरकार को पास करने में क्या दिक्कत है। न ही केन्द्र सरकार को दिक्कत है। दिक्कत है तो नगर निगम को और जो टाऊन प्लानर डिपार्टमेंट जो इन्होंने बनाया है उसके द्वारा जो दिक्कते आई हैं, न उन्होंने बाऊंड्री का किया न इन्होंने नक्शे पास किये, ये भी एक कारण बना है। हैल्थ में अस्पतालों में जाकर के देखिये। एक एक बैड पर चार-चार पैशेंट हैं। प्रसूति वार्ड में क्या हालत है। एक-एक बैड पर चार-चार मरीज हैं। मरीजों के लिए दवाई नहीं हैं। आयुर्वेदिक अस्पताल खोल दिये। होम्योपैथिक खोल दिये। यूनानी खोल दिये, दवाई नाम की कोई चीज नहीं है। दो साल से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में दवाईयों खरीदी नहीं जा रही हैं, नगर निगम ने यह काम किया, दिल्ली के लोगों को जो सुविधा मिलनह चाहिए वो नहीं मिल रही है। लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि बाजार से दवाई ले लीजिए, दवाइयां यहां पर खत्म हो गयीं हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कि कारपोरेशन में जो भी बीजेपी की नगर निगम रही है, बिल्कुल फेल हुई हैं।

मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार ने सोच समझ इस बात को कि क्यों न इसको तीन भागों में बाँट दिया जाये। तीन भागों में बाँटने के बाद नगर निगम का काम सुचारू रूप से होगा। जो लोग बार-बार सिविक सेंटर के चक्कर काटते हैं या टाऊन हॉल के चक्कर काटते हैं, उनको अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आसानी से उनको काम हो जायेगा। बीजेपी वालो ने, मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी चैयरमेन, लीडर ऑफ द हाऊस ने बहुत शोर मचाया कि इसको तीन भागों में क्यों बाँट रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब नगर निगम के अंदर मैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन था, यह प्रस्ताव बीजेपी का था कि

नगर निगम को तीन नहीं बल्कि पांच हिस्सों में बाँटा जाये और आज तक बीजेपी की सरकार जो भी निगम में रही या जो भी इनके लीडरर्स हैं, उनको यह बाँट नहीं सकें, हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि नगर निगम को तीन हिस्सों में बाँटेंगे और बाँट कर दिखाया मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चैयर, लीडर ऑफ द हाऊस ये कारपोरेशन को बाँटने नहीं देना चाहते थे, कहते थे जो माल आये वो इकट्ठा हमारे पास ही आ जाये। अब वही माल नौ जगह बटेगा। तीन मेयर होंगे, तीन स्टैंडिंग कमेटी के चैयरमैन होंगे और तीन लीडर ऑफ द हाऊस होंगे। काम का डिसेंटरलाइजेशन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ज्यादा होगा, पब्लिक को बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तीन कमीशनर होंगे, जो इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि एक कमीशनर सारी दिल्ली में राऊंड नहीं ले सकता। मेरे ख्याल से 272 काऊंसलर हैं, कमीशनर बता दे कि मैंने 272 वार्डस के अंदर राउंड लिया है। तीन कमीशनर होंगे, तीनों अलग-अलग क्षेत्र के अंदर जाएंगे, हर कारपोरेशन के मेम्बर के अंदर, हर विधान सभा के अंदर, उसका राउंड होगा, उसको पता चलेगा कि असलीयत क्या है, सड़कों की, अस्पतालों की, स्कूलों की क्या हालत है। बंद कमरे में बैठकर प्लानिंग हो जाती है और फैसला कर देते हैं। बाहर जाकर के देखें कि लोगों को क्या-क्या परेशानी है। तब उन्हें पता चले कि नगर निगम काम करती है या नहीं करती है। दोस्तों मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम फैसला किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजी गांधी जी ने, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा पंचायत राज राजीव गांधी जी ने शुरू किया, उस समय यह फैसला किया गया।

उस समय यह फैसला किया हम 33 परसेंट महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी वो कहती हैं लेडीज फर्स्ट, मुख्यमंत्री जी ने 50 परसेंट लेडीज का रिजर्वेशन जो रखा है कारपोरेशन के अंदर मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि लेडीज को भी आगे आने का मौका मिलेगा इस बात के लिए। आखिर में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं

कि इस नगर निगम के बंटवारे से दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि उनको घर बैठकर ही, आज जमनापार की अगर कारपोरेशन बनी है तो जमनापार के लोगों को दिल्ली के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। टाउन हॉल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसको जमनापार की टाउन हॉल में जाना पड़ेगा। जमनापार के अफसर वहीं बैठेंगे सार और सारे काम वहीं पर होंगे नगर निगम के काम, जनता के काम वहीं पर होंगे। उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सारा कुछ क्यों हुआ, उसका एक कारण है दोस्त, नेताजी, एक आदमी रोज़ाना कारपोरेशन के टाउन हॉल में जाता था, मुख्यमंत्री जी ज़रा सुनने वाली बात हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं वो रोज़ाना कारपोरेशन के दफ्तर में जाता था, सीढ़ियों को नमस्कार करता था, वहाँ के जो खम्बे लगे थे उनको नमस्कार करता था, रोजाना उसका रूटीन था यह, उससे पूछा कि तू इनको नमस्कार क्यों करता है? कहता है जी मैं इनको यह नमस्कार इसलिए करता हूं कि इसी ने पैसा नहीं मांगा सब ने मेरे से पैसा मांगा है, यहां पर इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ। वहाँ की सीढ़ियों को नमस्कार करता हूँ वहाँ के खम्भों को नमस्कार करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सुरक्षित है जिन्होंने पैसा नहीं मांगा नहीं तो कारपोरेशन का कोई कोना ऐसा नहीं रहा जिन्होंने मेरे काम के लिए मेरे से पैसा न मांगा हो। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए भ्रष्ट कारपोरेशन रही है यह पाँच साल में और इसके जो तीन टुकड़े हुए हैं यह बिल्कुल सही हुए हैं और मैं यह कहता हूं हम लोग सब मेहनत करेंगे इस बात के लिए और तीनों के अंदर फिर कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस का स्टेंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा और इसी प्रकार से ज्यादा काम मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों के होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रह्लाद सिंह साहनी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनी : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने दिल्ली नगर निगम की चर्चा पर मेरे को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अध्यक्ष जी, बच्चा पैदा होता है तो दिल्ली नगर निगम में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके माँ-बाप उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उसके माँ-बाप मरते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन वो बच कराने जाता है। सारा जितना भी चक्कर है बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी वो सारा दिन कारपोरेशन के कोई न कोई काम से रहता है कोई न कोई दिक्कत उसको कारपोरेशन की जरूर आती है, कारपोरेशन से संबंध रखता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि हर आदमी जो दिल्ली की कारपोरेशन से दु:खी था और इतने काम दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन में थे। वो काम आसानी से हो नहीं पाते ीं एक ही कमिशनर था एक हर हाउस होता था। कारपोरेशन को चलने के अंदर इंस्पेक्शन्स के अंदर बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए दिल्ली के अंदर नालों की समस्या थी, कभी भी कोई स्टाफ ऐसा नहीं था कि जो दिल्ली के अंदर नालों को साफ करे। जहाँ कहीं नाले रुक जाते थे तो अल्टीमेटली वो यह कह देते थे कि यह सीवर लाइन रुक गई है यह दिल्ली सरकार का काम है। यहाँ दिल्ली नगर निगम के अंदर 22 हजार कर्मचारी जो तनख्वाह लेते थे आज तक उनका नहीं पता चला वो कहाँ हैं कहाँ से तनख्वाह लेते थे, क्यों तनख्वाह लेते थे। इस तरह की बातें थीं, सफाई की समस्या को देख लो तो कहीं भी आपको पूरी तरह से सफाई नहीं मिलती। सफाई पर लोग आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं।

इसी तरह Storm Water Drain जो एक सीवर लाइन होता है उसके बराबर चैनल में जो Storm Water Drain चलती है वो सारी कारपोरेशन ने साफ करनी होती है आज तक एक भी कर्मचारी हमने नहीं देखा कि वो चैनल के बराबर में चलती हुई Storm

Water Drain को वो चलाये या उसको साफ करे। जब भी कभी किसी की कोई शिकायत होती है तो सीधा कह देते थे कि जल बोर्ड का काम है, जबकि यह काम दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का था। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अस्पतालों की हालत देख लो वो बहुत कंडीशन दयनीय है। नगर निगम के जितने भी मैम्बर हैं वो चुनाव लडते हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, आज आपने तीन भाग कर दिये हैं 50 परसेंट महिलाओं के लिए किया है, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी आत अगर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिल्ली नगर निगम से छिनकर किसी और विभाग को दे दे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कोई भी बी.जे.पी.ि का सीनियर लीडर चुनाव ही नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ पैसे के लिए वहाँ चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए चुनाव लड़ते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए चुनाव लडत्ते है। उनका और कोई aim नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है जिस तरह आपने दिल्ली के अंदर सड़कों की बात कही है तमाम छोटी गलियों में आप जाकर देखें सड़कों का इतना बुरा हाल है बड़ी सड़कें जो हैं उनका बुरा हाल है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो 60 फुट से ऊपर जो सड़कें हैं, पी.डब्ल्यू. डी. ने की है यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है इसका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री का।

नरेन्द्र नाथ जी ने अभी एक चीज़ बताई दिल्ली में हाउस टैक्स जो लगा, इस हाउस टैक्स को ही अगर प्रोपर ले लिया जाये तो दिल्ली नगर निगम को किसी और तरफ जाकर पैसे माँगने की जरूरत नहीं है। लाखों, करोड़ों रुपया एक-एक आदमी के पास हाउस टैक्स देना होता है, यह उनसे मंथली बांध लेते हैं जो इंस्पेक्टर है, जो ऑफिसर्स हैं उनसे एक करोड़ रुपया किसी का है उससे एक हजार रुपया, दो हजार रुपये महीने की किश्त बांध देते हैं और विभाग को एक पैसा जमा नहीं होता यह उसको टालते रहते हैं, वो हाउस टैक्स रिकवर नहीं करते। इसी तरह दिल्ली नगी निगम के स्कूलों को देख लो, उनकी हालत इतनी

खराब है मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो सारे दिल्ली सरकार को दे दिये जाये और दिल्ली सरकार ताकि जिस तरह अपने स्कूलों में एक अच्छा सर्वोदय विद्यालय बनाकर, एक अच्छे स्कूलों की बिल्डिंग बनाकर चला रही है वो एक अच्छा काम हो जायेगा दिल्ली के लोगों को एक राहत मिल जायेगी। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को यह भी कहना चाहता हूँ कि जितनी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स दिल्ली नगर निगम चला रहा है, आज अगर आप वहाँ जाकर देखे दवा नाम की कोई चीज़ है, डॉक्टर कभी होते है। कभी नहीं होते हैं। आप यह देख लो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर लाइन लगी होगी मगर वहाँ डॉक्टर available नहीं होगा। वहाँ दवा का नाम नहीं होगा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहाँ हम इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के जितने हॉस्पिटल्स हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिये जाये। दिल्ली की जितनी भी बड़ी सड़कें हैं वो आपने जिस तरह ली हैं इसी तरह हॉस्पिटल और दिल्ली नगर निगम के स्कूल सारे दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर दिये जाये जाकि दिल्ली सरकार की तरह चल सके।

मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ और अपनी बात जो मैंने रखी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से खासकर के यह कहना चाहूँगा, अभी नरेन्द्र नाथ जी ने एक बात कही बांट बंटने पर यह झगड़ा था, दिल्ली नगी निगम तो पाँच भागों में भी बांटी जाती मगर वहाँ के मेयर, वहाँ के स्टेंडिंग कमेटी के मैम्बर, वहाँ स्टेंडिंग कमेटी के चेरमैन वो दिल्ली को बंटना नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनको पैसा सारी दिल्ली का चाहिए था सारी दिल्ली की रिश्वत उनके घरों में आती थी।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो तीन भागों में बाँटा गया है, वो जो पाँच भागों में बांटना चाहते थे, अब जो कम हुए हैं। तीन भागों में बाँटा गया है। मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री से प्रार्थना है और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि दिल्ली को तब तीन भागों में बाँटा जाएगा, तीन

उसके कमिश्नर होंगे, तीन स्टेंडिंग कमेअी के चेयरमैन होंगे, तीन मेयर होंगे, तीन निकाय होंगी और इच्छी तरह से, सुचारू रूप से दिल्ली का अच्छी तरह से काम चलेगा। उसके तीन ही अपोजिशन लीडर होंगे, दिल्ली के अन्दर जितनी भी कमियाँ होंगी वो सब अच्छी तरह से दूर हो जाएंगी। स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस बात को खूब ज़ोर से दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी कहे ताकि हम लोग सारे मिलकर यह जो फैसला लिया है उसका हम सब मिलकर स्वागत करते हैं।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। दिल्ली के एमएलए भाइयों, यहाँ अपोजीशन के लोग हमें बार-बार यह कहते हैं कि काउंसलर हमारी पार्टी का है, मगर हमारे कामों में वो रुकावट डालता है। दिल्ली नगर निगम का काउंसलर चाहे वो बीजेपी का हो और एमएलए भी बीजेपी का हो वहाँ भी वो काम नहीं होने देता वो हम लोगों को बाहर जाकर यह बात कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया, हमारे फण्डस तक वो लगने नहीं देते। काम हमारे होने नहीं देते। जहाँ एमएलए फण्ड वो देते हैं वहाँ जा करके दिल्ली नगर निगम के आदमी दिल्ली नगर निगम के पार्षद अपना बोर्ड लगा लेते हैं। यह जो दिल्ली की जनता के लिए फैसला किया गया, दिल्ली के तमाम एमएलऐज को मुबारक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है। आज हमारे करोड़ों रुपये दिल्ली नगर निगम में पड़ें हैं। हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हो पा रहा। दो-दो, तीन-तीन महीने तक एस्टीमेट नहीं बनते। जहाँ कॉरपोरेशन के काउंसलर दूसरी पार्टी के होते हैं वे काम करने में बाधा डालते हैं। हम लोगों के कामों में रुकावटें पड़ती हैं। अब जब यह तीन जोनस में बंट जायेगा तो हमारे सारे काम ध्यान से चलेंगे। सारे काम अच्छी तरह से चलेंगे। तमाम काम दिल्ली में रहने वालों को एक बेहत्तर शिक्षा मिलेगी, बेहत्तर जीवन मिलेगा, सफाई की समस्या दूर होगी। दिल्ली को तमाम सुविधाएं जो दिल्ली नगर निगम से मिलनी चाहिये थी, वो दिल्ली को तीन भागों में बांटने के बाद एक अच्छा फैसला होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज यह जो एक एतिहासिक फैसला माननीय मुख्य मंत्री जी ने और दिल्ली की सरकार ने लिया है, इसके बहुत ही दूरगामी रिजल्ट सामने आयेंगे। अध्यक्ष जी, यह बात तो है कि सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण होगा ही होगा और जो सत्ता है वह आम लोगों तक पहुँचेगी। अध्यक्ष जी, आज पूरे वर्ल्ड में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दूसरा उदाहरण होगा, जहाँ पर स्टेट की सरकार की जूरीडक्शन भी वही हो और लोकल बॉडी की भी जूरीडक्यशन वही हो। यह दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट था, जहाँ पर लोक बॉडीज की भी जूरीडक्शन उतनी थी जितनी कि दिल्ली सरकार की थी। इसमें सर, दो राय नहीं कि लोकल बॉडीज को पावरफुल करना यह हमारे महान नेता आदरणीय राजीव गाँधी जी का सपना था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाये। पंचायती राज और लोकल बॉडीज को मजबूत किया जाये और उनको लोगों तक पहुँचाया जाये। यह दिल्ली की सरकार का एक और ऐसा महत्त्पूर्ण कदम है, जिससे उनकी जो समस्यायें थी उनका समाधान आम लोगों के घर तक पहुँचेगा। आज जो भी समस्यायें आदरणीय नरेन्द्र नाथ जी ने, साहनी साहब ने बताई मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन हो गई थी और वहाँ पर कुछ लोग जो स्थापित हो गये थे पिछले दस साल से 15 साल से वो नहीं चाहते थे कि इसका विकेन्द्रीकरण हो। वो नहीं चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ से जाये और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो रोज कारपोरेशन से निकलकर आ रहे थे, उसका बड़ा कारण यही था कि कुछ लोग वहाँ पर स्थापित हो गये थे और उन्होंने अपना स्थापत्य काबिज कर लिया था। इस महत्वपूर्ण फैसले से जो कुछ लोगों के हाथ में पावर थी उसका विकेन्द्रीकरण होना।

आज जब हम देखते हैं कि कॉरपोरेशन की वर्किंग में इतनी समस्याएं, इतनी दिक्कतें हैं क्योंकि क्या कारण थे कि हमें समय-समय पर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, DUSIB का नया formation करना पड़ा। क्या करण है कि जेजे स्लम जो हमारे यहाँ पर थे पूरी दिल्ली में उनमें कोई काम पिछले 10-15 साल से नहीं हो पाते थे। जैसे ही दिल्ली सरकार ने उनको ट्रांसफर किया आज 6 महीने में 8 महीने में वहां पर विकास के कार्यों की एक बहार चली रही है। अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि आज सवेरे ही मेरे यहाँ भी एक री-सेटलमेंट कॉलोनी थी लगभग साढे तीन करोड़ के काम का उद्घाटन करते हुए हमें खुशी हुई। जो वहाँ पर लोगों के चेहरे पर खुशी आप देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। पिछले दस वर्षों से वहां पर कोई विकास के नाम की चीज नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली सरकार के पास कोई विभाग आता है उसमें काम के पहियें, विकास के पहियें लग जाते हैं। यह जो कारण है, इस सब के पीछे मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ही अच्छा हमारी पूरी जनता सिर्फ कुछ जैसे की बात चल रही थी कुछ लोगों को छोड़ कर यदि आम जनता से इस बारे में बात करें तो आज आम जनता को इस बात की बहुत खुशी है कि उनको कारपोरेशन के कार्य करवाने के लिए कारपोरेशन की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज अफसरों के पीछे-पीछे नहीं दोड़ना पड़ेगा। यह बहुत सत्य बात है। अध्यक्ष जी, आम जनता की बात को छोड़िये यदि कोई इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ के एक इंजीनियर से टाईम लेना चाहता है तो उसको भी आईम नहीं मिल पाता। पूरे तीन-तीन, चार-चार साल आप उनके पीछे पड़े रहिये और वो आपको गोली देते रहेंगे। आज मैं यहां पर हूँ, आज मीटिंग हैं, आज मैंने वहाँ पर जाना है। जो फैसला आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है मैं समझता हूँ कि जनता के हक में हुआ है और आज दिल्ली की जनता इस बात से बहुत ही खुश है कि कारपोरेशन का डिवीजन हुआ और इससे भी एक और महत्त्वपूर्ण बात जो इस बिल में आई थी जिसका फैसला हुआ है कि दिल्ली में 50 प्रतिशत महिलाओं का रिजर्वेशन भी किया गया है इसके तहत। जो 33

प्रतिशत लोकल बॉडीज में अब तक थी भारत में यह पहला राज्य होगा जहाँ पर लोकल बॉडीज में जहाँ पर राजय में मेट्रो सिटीज में ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर 50 प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका सारा जो श्रेय आज आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए महिलाओं को 50 परसैंट रिजर्वेशन देने के लिए कारपोरेशन का विभाजन करने के लिए यदि महत्त्वपूर्ण इसका श्रेय जाता है तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी को जाता है। दिल्ली की सरकार को जाता है। मैं पुनः एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आप सब का धन्यवाद, मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : अब शहरी विकास मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी. डॉ. नरेन्द्र नाथ जी ने, साहनी साहब ने और देवेन्द्र यादव जी ने अपने इसमें विचार रखे। यह बात सही है कि एमसीडी का विभाजन बहुत जरूरी थी पूरी दिल्ली जो है 95 परसैंट एरिया एमसीडी के अंडर है और एक कमिश्नर इतने बड़े एरिया को नहीं देख पाता था। लिहाजा किसी एरिया कि अगर कोई प्रोबलम थी तो कमिश्नर से मिलने के लिए ही सब लोग चक्कर काटते रहते थे। खासकर एमएलए के सामने यह प्रोबलम आती थी कि अगर जो कारपोरेटर कह देगा उसकी बात तो मानी जाती है और जहाँ मर्जी आये वो फण्ड लगाना चाहे वो फण्ड लगा सकता था परन्तु एमएलए के कहने पर कोई फण्ड नहीं लगता था। इस यह तीन हिस्सों में डिवाईड होने के बाद मैं यह समझता हूँ कि जो फण्ड का डिवीजन है क्योंकि अब तीनों को अलग-अलग फण्ड दिये जायेंगे और प्रोपरली उसका इस्तेमाल भी होगा और दिल्ली की डेवलपमेंट भी होगी। आज दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी बाहर से आता है तो सबसे बड़ी चीज है सफाई और सड़कें उन दोनों की हालत जो है इतनी खराब है आदमी देखते ही समझता है कि दिल्ली बड़ी खराब स्थिति के अंदर है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन

किया बड़ा अच्छा डिसीजन है। अब इसके साथ-साथ हमारा भी दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा। क्योंकि कुछ हमें एडीशनल पार्वस मिली हैं और उसके साथ-साथ जो 50 परसैंट सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं क्यांकि राजीव गाँधी जी ने 33 परसैंट सीट रिजर्व की थीं और अब जो 50 परसैंट की गई हैं यह बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मैं यह बताना चाहूँगा कि कुछ सेक्शन जो कि दिल्ली सरकार के पास ट्रांसफर हुए हैं, उसमें जैसे सैक्शन 54 है Appointment of Commissioner with prior approval of the Central Government अब हमारी सरकार, केन्द्र सरकार की prior approval के बाद कमिश्नर का अप्वाइंटमेंट कर सकेगी। अगर जो Section 56 sanction of leave to the Commissioner अब वह भी हमारी सरकार sanction of leave करेगी, साथ-साथ सैक्शन-57. Appointment of officiating Commissioner in case of any accident or any mishap, तो ये सब पाव जो हैं दिल्ली सरकार के पास ट्रांसफर की गई हैं। Section-2002 Poer of Contract from Central Government to the State Government, Section-330A, A General superintence from Central Government to Delhi Government, Section 427, Submission of improvement scheme of L.A. Roads. पहले एल.ए. रोड्स की स्कीम एल.जी. साहब के पास जाती थी अब वे दिल्ली सरकार के पास आती हैं उससे हम लोग काफी हद तक मॉनिटर कर सकेंगे और Section 480 any regulation which is to be made will be approved by the Delhi Government. Section 489 Direction regarding primary education. प्राइमरी एजूकेशन के बारे में हम लोग अब डिसीजन कर सकते हैं। अगर हम यह फील करते हैं, सरकार यह फील करती है कि प्राइमरी एजूकेशन हमें अपने पास लेनी है तो मैं यह समझता हूँ कि उसके अन्दर कोई दिक्कत नहीं आएगी। Section 490, Dissolution

of Corporation with prior permission of the Central Government. 512 Special Provision as to the area transferred from New Delhi to Delhi. ये सब पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अन्दर जैसे ही हम अपना डायरेक्टर अप्वाइंट करते हैं। उसके बाद ये तीनों कारपोरेशंस के लिए अलग से इनका आफिस बनाकर जैसे टाउनहाल के अन्दर और ईस्ट दिल्ली के अन्दर और एक साउथर दिल्ली के लिए अलग से बनाकर हमारा यह प्रयास होगा और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी एक मीटिंग करके हम अपना सारा सिस्टम तैयार करके रखेंगे जिससे कि इलैक्शन होने के बाद इनको तीनों को डायरेक्ट अलग-अलग जगह पर जाने का मौका मिले अलग जगह पर बैठने का मौका मिले।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्राइमरी एजूकेशन और जो हैल्थ सर्विसेज है वे दिल्ली सरकार को ट्रांसफर होंगी या नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने अभी कहा है कि प्राइमरी एजूकेशन का सेक्शन 489 है.... व्यवधान।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, पैरेलल हैल्थ डिवीजन खोली हुई है, वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। डिस्पेंसरियां खोली हुई हैं, नकली दवाइयां बिक रही हैं, बाजार आप देख लीजिए एमसीडी की कोई भी डिस्पेंसरी हो वहाँ बाहर खड़ा होकर आप थोक में दवाई ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बुरा हाल है। क्या ये अस्पताल जहाँ चोर बाजारी चल रही है, हजारों करोड़ रुपये की दवाइयां फर्जी खरीदी जा रही हैं वे क्या इसी तरह पैरेलल चलती रहेंगी? डॉ. साहब आप तो हैल्थ मिनिस्टर है, आप तो देख हर रहे हैं कि क्या हालत हो

रही है दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों की और डिस्पेंसरियों की? आप इन्हें लेने की बात क्यों नहीं कर रहे? इम निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें लेने की बात की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसे ही हमारा डायरेक्टर अप्वाइंट हो जाता है उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद कमिश्नर्स अप्वाइंट होंगे फिर इसका trifurcation Officers का भी किया जायेगा कि तीनों कारपोरेशन बनी है, उसके अन्दर प्रोपर डिवीजन किया जायेगा। फरवरी तक हम अपनी सारी तैयारी कर लें और परोपकर तरीके से जो भी आपने बात कही है चाहे हैल्थ की है, चाहे एजूकेशन की है, हम सबका पूरा प्रयास होगा कि दिल्ली के अन्दर एक सिस्टम बने। अभी दिल्ली में, मुझे याद है कि अब गार्बेज की हम लोग बात करते थे, इन्होंने गार्बेज कलेक्शन के लिए कहा कि हम घर-घर से गार्बेज कलैक्ट करेंगे। एक दो स्कीम चालू होती है। फिर फेल हो जाती है। इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं वे चालू होने से 6 महीने के अन्दर फेल हो जाती है। अध्यक्ष जी, जो बातें यहाँ कही गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

श्री कंवर करन सिंह : अध्यक्ष जी हमारी प्रार्थना है कि कल लौहड़ी का त्यौहार है और हम सबकी भावना है कि कल सदन की कार्यवाही दोपहर 2.00 बजे की बजाए मध्याह्न 12.00 बजे से आरम्भ की जाये जिससे सभी पारिवारिक त्यौहार में शामिल हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : एक और अल्पकालिक चर्चा दिल्ली की लगातर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति पर आई थी, लेकिन जिन्होंने यह चर्चा लगाई है वे सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। इसलिए इस चर्चा को नहीं लिया जा रहा है।

श्री कंवर करन सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यह रिकॉर्ड पर आए कि वे बार-बार चर्चा लगाते हैं, पिछले तीन साल में यह ग्यारहवीं चर्चा है जो इन्होंने लगाई और वे सदन छोड़कर चले जाते हैं। वे हर वक्त समय की बात करते हैं और चर्चा में भाग नहीं लेते।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही 13 जनवरी, 2012 को मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 13 जनवरी, 2012 को मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)